[2022] 14 एस. सी. आर 828

सुब्रमण्य

वी.

कर्नाटक राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 242)

13 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई और जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.302-साक्ष्य अधिनियम-एसएस। 8 , 27 & 30 - अभिप्रेरणा-खोज कथन-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति-अपीलार्थी

(ए-1) और ए-2 ने पीड़ित-मृतक को हटाने की साजिश रची-दोनों ने कथित तौर पर उसके घर में प्रवेश किया और पशुशाला के पास कहीं, मृतक के सिर और गर्दन पर डंडे जैसी कठोर वस्तु से वार किया गया-बाद में, उन्होंने मृतक के शरीर से सोने की चेन, एक जोड़ी कान की छड़ी और एक सोने की अंगूठी हटाने का आरोप लगाया। बाद में, ए-3 ने अपीलार्थी की मदद की और ए-2 ने मृतक के शव को साड़ी में लपेटकर एक 'डी' की भूमि पर फेंक दिया-तीनों अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया-अभियोजन पक्ष ने उद्देश्य के तथ्यों पर भरोसा किया क्योंकि अपीलार्थी का मूल ए-2 के साथ अवैध संबंध था और मृतक उनके रास्ते में आ रहा था।

अपराध-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया-बरी करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील-उच्च न्यायालय ने जहां तक ए-2 का संबंध है, अपील को खारिज कर दिया और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत ए-1 और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत ए-3 को दोषी ठहराया। 34 आई. पी. सी. की-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ए-1 द्वारा दायर अपील-आयोजितः उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के फैसले में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी

निचली अदालत द्वारा दर्ज-अदालत को कोई संतुष्टि नहीं मिलती है

निचली अदालत के निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से गलत या स्पष्ट रूप से मानने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित

अस्थिर-एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करने और अपराध के हथियार की खोज आदि से संबंधित परिस्थितियाँ स्थापित नहीं हुई हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि किसी भी अन्य परिस्थिति पर विचार करने के लिए, यहां तक कि जैसे

उद्देश्य, आवश्यक नहीं होगा-यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मृतक के हथियार, कपड़े और मृत शरीर की खोज का प्रमाण

अपीलार्थी दोषी के आग्रह पर यहाँ मुश्किल से इलाज किया जा सकता है

कानूनी साक्ष्य के रूप में, विशेष रूप से, उसी में विभिन्न कानूनी दुर्बलताओं पर विचार करते हुए-इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी को हत्या का दोषी ठहराने में त्रुटि की।

अपीलार्थी दोषी को रिहा कर दिया जाता है।

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - एस. 30-साक्ष्य का मूल्य-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है-गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता के कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर उत्तीर्ण हो जाता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है-जहां एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह वर्तमान मामले की तरह अपना महत्व खो देती है।

खोज कथन - एस. 27-केवल खोज की व्याख्या उस व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं की जा सकती है जिसने उस हथियार की खोज की थी जिसे वह प्राप्त कर सकता था।

किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी उस स्थान पर उस हथियार के अस्तित्व का ज्ञान-इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति ने हथियार की खोज की थी, इसलिए वह व्यक्ति था

जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था।

प्रेरणा एस। 8 - साक्ष्य मूल्य-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य की उपस्थिति अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। परिवेशीय साक्ष्य-न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है, और जब परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो यह केवल इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. चंद्रप्पा और अन्य बनाम में न्यायालय। कर्नाटक राज्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है

अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय शक्ति का प्रयोग करना। अपीलीय अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी जहाँ [2022] 14 एस. सी. आर.

बरी करने के निर्णय के साथ। [पैरा 43] [855-एच; 856-ए-बी] 2. कथित अपराध की तारीख 23.08.2010 है। तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीताराम द्वारा की गई थी

भट (अभियुक्त संख्या 3) दिनांकित 09.12.2010 है। अदालत यह समझने में विफल रही कि लगभग चार महीने की अवधि के बाद अचानक सीताराम (आरोपी संख्या 3) ने पी. डब्ल्यू. 7 एच. टी. के समक्ष एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति क्यों की।

एतऽ कथित अपराधमे अपीलार्थी। एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। साक्ष्य का मूल्य

स्वीकारोक्ति, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करती है जिसके सामने यह किया गया है। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य साक्ष्य देने वाले गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। यह किसी भी अदालत के लिए इस धारणा के साथ शुरू करने के लिए खुला नहीं है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है। यह प्रकृति पर निर्भर करता है

परिस्थितियाँ, वह समय जब स्वीकारोक्ति की गई थी और गवाहों की विश्वसनीयता जो इस तरह के स्वीकारोक्ति की बात करते हैं। इस तरह के स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि स्वीकारोक्ति के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, यहां तक कि आरोपी के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में कुछ भी नहीं लाया जाता है।

गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि आरोपी अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है जो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर उत्तीर्ण हो जाता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सुब्रमण्य बनाम सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है।

कर्नाटक राज्य

और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। [पारस 52,53 और 54] [864-जी-एच; 865-ए-ई]

3. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है लेकिन विवेक के नियम के लिए आवश्यक है कि

जहाँ भी संभव हो, स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अभियुक्त के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की सभी मामलों में पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। मदन गोपाल कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और एक अन्य, न्यायालय ने प्यारा सिंह और अन्य बनाम का उल्लेख करने के बाद। पंजाब राज्य ने माना कि कानून के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए। विवेक के नियम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक

स्वीकारोक्ति में उल्लिखित परिस्थिति अलग से होनी चाहिए

और स्वतंत्र रूप से पुष्टि की। [पैरा 56] [867-सी-डी]

मदन गोपाल कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और एक अन्य

(1992) 3 एससीसी 204: [1992] 2 एससीआर 921; प्यारा सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 452: [1978]

1 एस. सी. आर. 597-संदर्भित।

4. हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय ने इकबालिया बयान को आधार बनाने में एक गंभीर त्रुटि की और

इसके बाद पुष्टि की तलाश में जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इकबालिया बयान की भौतिक विवरणों में पुष्टि की गई है, जिसमें अपीलार्थी दोषी के खिलाफ साक्ष्य पर पहले विचार किए बिना और सम्मिलित किए बिना

विचार से पूरी तरह से दृढ़ विश्वास। जैसा कि निर्णय में कहा गया है, केवल तभी जब उपलब्ध साक्ष्य पर इस तरह के विचार पर, स्वीकारोक्ति के अलावा एक दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से आधारित हो सकती है, तभी उस विश्वास या निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जा सकता है। [पैरा 59] [868-बी-सी]

एफ] 6. यदि, जाँच अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर हिरासत में रहते हुए [2022] 14 एस. सी. आर.

एक बयान कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार छिपा दिया था, शव को दफनाने की जगह, कपड़े आदि, फिर जांच अधिकारी को सबसे पहले दो स्वतंत्र गवाहों को पुलिस स्टेशन में ही बुलाना चाहिए था। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में उनकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आरोपी को उस स्थान को इंगित करने के संबंध में एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए जहां उसने अपराध के हथियार आदि को छिपाया था। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों के सामने ऐसा बयान देता है

(पंच-गवाह) सटीक बयान या बल्कि अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जिसे जांच अधिकारी आकर्षित कर सकता है।

इसके बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाह) के साथ अदालत के सामने आगे बढ़ेगा। विशेष स्थान जिसका नेतृत्व अभियुक्त कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग होगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा बनाने की उम्मीद करता है। यदि जाँच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी में इसकी कमी है।

मामले के प्रासंगिक पहलू। [पैरा 78] [879-एफ-एच; 880-ए-डी] 7. दूध नाथ पांडे बनाम। यू. पी. राज्य, न्यायालय ने कहा कि पिस्तौल की खोज के साक्ष्य

अपीलार्थी, अपने आप में, यह साबित नहीं कर सकता कि जिसने हथियार को इंगित किया था, उसने अपराध में इसका इस्तेमाल किया था। खोज के साथ दिया गया बयान छिपाने के लेखक की पहचान करने के लिए अस्पष्ट पाया गया और यह माना गया कि हथियार से बाहर की ओर इशारा करते हुए,

सबसे अच्छा, अपीलार्थी के ज्ञान को साबित करें कि सुब्रमण्य बनाम कहाँ है।

हथियार रखा गया था। इस प्रकार, सटीक शब्दों के अभाव में, एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए जिम्मेदार, उसके द्वारा दिए गए बयान के रूप में जांच अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में गवाही दी गई, और पंचनामे की सामग्री को साबित किए बिना, उच्च न्यायालय हथियार की खोज की परिस्थिति पर भरोसा करना उचित नहीं था। [पारस 85 और 86] [883-ए-सी]

दूध नाथ पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य आकाशवाणी (1981) एससी 911

- पर भरोसा किया।

8. निर्णयों के संदर्भ में, न्यायालय ने सावधानी बरती। यद्यपि अभियुक्तक आचरण प्रासंगिक भऽ सकैत अछि।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत तथ्य, फिर भी वही, अपने आप में,

उसे दोषी ठहराने या उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। साक्ष्य के किसी भी अन्य टुकड़े की तरह, एक अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है जिन पर अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के साथ विचार कर सकती है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अकेले अभियुक्त का आचरण, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। [पैरा 89] [885-ई-जी]

9. इस प्रकार, भले ही यह माना जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी का अपराध करने का उद्देश्य था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में परिस्थिति लेकिन एक निर्णायक प्रमाण के रूप में जगह नहीं ले सकता है कि व्यक्ति

संबंधित अपराध का लेखक था। यह भी कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य की उपस्थिति अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है लेकिन

संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। निचली अदालत ने सबूत के रूप में अपराध करने के उद्देश्य को सही माना

इस संबंध में पूरी तरह से सुनी-सुनाई बात है। [पैरा 92] [887-डी-ई] 10. तथ्य यह है कि न्यायालय ने एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करने से संबंधित परिस्थितियों को खारिज कर दिया है और

अपराध के हथियार आदि की खोज के रूप में नहीं किया गया है

स्थापित, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि किसी अन्य परिस्थिति पर विचार करने के लिए, यहां तक कि उद्देश्य की तरह, आवश्यक नहीं होगा। [पैरा 93] [887-एफ] [2022] 14 एस. सी. आर.

11. इस प्रकार, चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हथियार की खोज के साक्ष्य,

अपीलार्थी दोषी के कहने पर मृतक के कपड़े और मृत शरीर को शायद ही कानूनी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, विशेष रूप से, विभिन्न कानूनी दुर्बलताओं को देखते हुए

एक ही। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने में त्रुटि की है। अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को खारिज कर दिया जाता है। [पारस 94,95 और 96] [887-जी-एच; 888-ए]

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88-निर्भर।

शीओ स्वरूप बनाम। राजा सम्राट (1934) एससीसी ऑनलाइन पीसी 42: ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227; चंद्रप्पा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415: [2007] 2 एस. सी. आर. 630; एटली बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807; संवत सिंह और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1961 एससी 715 : [1961] 3 एससीआर 120; अहेर राजा खीमा बनाम। सौराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर 1956 एस. सी. 217 [1955] 2 एस. सी. आर. 1285; एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 [1963] 2 एस. सी. आर. 405; शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793: [1974] 1 एससीआर 489; रमेश बाबूलाल दोशी बनाम। गुजरात राज्य (1996) 9SCC225: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 265; अजीत सावंत मजगवाई बनाम। कर्नाटक राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 110 [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 444; नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 12 एससीसी 351: [2009] 6

एस. सी. आर. 982; हरियाणा राज्य बनाम नेपाल सिंह सी. आर. ए.-1993 का डी. सं. 99 डी. बी. ए. आदेश दिनांक 21-7-1997 (पी. एंड एच.); उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सहाय और अन्य (1982) 1 एस. सी. सी. 352, अरुणाचलम बनाम। पी. एस. आर. साधनानथम और एक अन्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 297 [1979] 3 एस. सी. आर. 482; की स्थिति हरियाणा बनाम. लखबीर सिंह और एक अन्य (1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 35; राजस्थान राज्य बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य (1983) 1 एस. सी. सी. 393: [1983] 2 एससीआर 53; यू. पी. राज्य बनाम शंकर, (1980) पूरक एस. सी. सी. 489; यू. पी. राज्य बनाम हकीम सिंह और अन्य (1980) 3 एस. सी. सी. 55; अरुणाचलम बनाम। पी. एस. आर. साधनानथम और एक अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 297 सुब्रह्मण्य बनाम।

कर्नाटक राज्य

: [1979] 3 एस. सी. आर. 482; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। रांझा राम और अन्य (1986) 4 एस. सी. सी. 99; महाराष्ट्र राज्य बनाम। चंपालाल पुंजाजी शाह (1981) 3 एस. सी. सी. 610: [1982] 1 एससीआर 299; गुरबचन सिंह बनाम। सतपाल सिंह और

अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 445: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 292; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। बोगम चंद्रैया और

एक और (1986) 3 एस. सी. सी. 637; यू. पी. राज्य बनाम फेरू सिंह और अन्य, 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 288; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। पुसू उर्फ राम किशोर (1983) 3 एस. सी. सी. 502: [1983] 3 एस. सी. आर. 294; सहदेवन और एक अन्य बनाम। तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एससीसी 403: [2012] 4 एस. सी. आर. 366; कश्मीरा सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य एयर

1952 एससी 159: [1952] एस. सी. आर. 526; हरिचरण कुर्मी और जोगिया हाजम बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1184: [1964] 6 एस. सी. आर. 623; रामचंद्र और एक अन्य बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381; भुबोनी साहू बनाम। राजा ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257; मुरली और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य (2009) 9 एससीसी 417: [2009] 13 एस. सी. आर. 378; मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य एयर

(1976) एससी 483: [1976] 1 एस. सी. आर. 715; इयरभद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य ए. आई. आर. (1983) एससी 446: [1983] 2 एस. सी. आर. 552; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। देवमन उपाध्याय ए. आई. आर. (1960) एस. सी. 1125; पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य बनाम। सम्राट ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67; दूध नाथ पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य आकाशवाणी (1981) एस. सी. 911: [1981] 2 एससीआर 771; बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45: [2002] 2 पूरक। एससीआर 67; ए. एन. वेंकटेश और एक अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य

(2005) 7 एस. सी. सी. 714; संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णगिरी (2012) 4 एस. सी. सी. 124: [2012] 2 एस. सी. आर. 289-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

7] 2 एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

1955 एससी 807

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

1] 3 एससीआर 120

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

5] 2 एससीआर 1285

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर 405

[1963]

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[1974] 1 एससीआर 489

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1996] 2 पूरक। एससीआर 265

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[1997] 3 पूरक। एससीआर 444

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2009] 6 एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

(1982) 1 एस. सी. सी. 352

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.1

[1979] 3 एससीआर 482

पै

रा 45.1

संदर्भित किया गया है

(1991) पूरक। 1 एससीसी 35

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.1

[1983] 2 एससीआर 53

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

(1980) पूरक। एस. सी. सी. 489

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

(1980) 3 एससीसी 55

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

(1986) 4 एससीसी 99

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

[1982] 1 एससीआर 299

पै

रा 45.2।

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 पूरक। एससीआर 292

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

(1986) 3 एस. सी. सी. 637

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45.2।

(1989) पूरक। 1 एससीसी 288

पै

रा 45.2। 2

संदर्भित किया गया है

[1983] 3 एससीआर-294

पै

रा 45.2। :

संदर्भित किया गया है

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

[2012] 4 एससीआर 366

पै

रा 55

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पै

रा 56

[1978] 1 एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पै

रा 56

[1952] एससीआर 526

संदर्भित किया गया है

पै

रा 58

[1964] 6 एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1957 एस. सी. 381

पै

रा 63

[2009] 13 एससीआर 378

पै

रा 79

संदर्भित किया गया है

[1976] 1 एससीआर 715

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

[1983] 2 एससीआर 552

पै

रा 81

सुब्रमण्य वी. को संदर्भित किया गया। कर्नाटक राज्य

आकाशवाणी (1960) एससी 1125

संदर्भित किया गया है

पै

रा 82

[1981] 2 एससीआर 771

उस पर भरोसा करें

पै

रा 85

[2002] 2 पूरक। एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पै

रा 87

(2005) 7 एस. सी. सी. 714

पै

रा 88

संदर्भित किया गया है

[2012] 2 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पै

रा 91

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2022 का No.242।

उच्च के 02.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

2013 की आपराधिक अपील No.473 में बेंगलुरु में कर्नाटक का न्यायालय।

कृष्ण पाल सिंह, सीमाब कयूम, श्रीमती अन्विता अपराजित,

माधवेंद्र सिंह, मोहन सिंह बैस, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. यह वैधानिक आपराधिक अपील एक दोषी के कहने पर है।

अभियुक्त पर एक कमलम्मा (मृतक) की हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया है और उसे आपराधिक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2019 पर पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।

2013 की अपील सं. 473, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2011 के सत्र मामला सं. 59 में प्रधान सत्र न्यायाधीश, चिकमंगलूर द्वारा पारित बरी करने के निर्णय और आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर बरी करने की अपील को अनुमति दी और इसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 25,000 / - और जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में छह महीने की अवधि के लिए और साधारण कारावास से गुजरना होगा।

रोग होने का कारण

2. इसमें अपीलार्थी दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, अर्थात् -

स्वर्गीय नागराज की पत्नी गौरी उर्फ गौरम्मा और स्वर्गीय नागभट्ट के बेटे सीताराम भट पर 2011 के सत्र मामला संख्या 59 में आईपीसी की धारा 120-बी, 302,379 और 201 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।

प्रधान सत्र न्यायाधीश, चिकमंगलूर की अदालत में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त संख्या 2, अर्थात् गौरी (बरी) का जन्म मंजप्पनिका और उसकी पहली पत्नी के विवाह में हुआ था। मृतक, अर्थात्,

कमलम्मा मंजप्पनिका की दूसरी पत्नी थीं। गौरी (मूल) आरोपी नंबर 2) मृतक कमलम्मा की सौतेली बेटी है। मंजप्पनिका के निधन के बाद उनकी अचल संपत्तियों को मृतक कमलम्मा और गौरी के बीच विभाजित कर दिया गया।

(ए-2)। मंजप्पनिका और मृतक की शादी में दो बेटियों का जन्म हुआ, जिनके नाम सुगंधा (पीडब्लू 1) और सुजाता हैं। मृतक कमलम्मा पास के होराबिलु गाँव में अकेली रहती थी।

मूल अभियुक्त नं. 2 गौरी का घर। गौरी एक विधवा है और प्रासंगिक समय पर अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि गौरी (ए-2) का अपीलार्थी के साथ अवैध संबंध था। मृतक कमलम्मा इस तरह के अवैध संबंध का अत्यधिक विरोध करती थी और अपीलार्थी और गौरी दोनों को फटकार लगाती थी।

कमलम्मा। दोनों पर आरोप है कि वे उसके घर में घुस गए थे और पशुशाला के पास कहीं मृतक के सिर और गर्दन पर डंडे जैसी कठोर वस्तु से वार किया गया था। बाद में, अपीलार्थी और गौरी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मृतक कमलम्मा के शरीर से सोने की चेन, एक जोड़ी कान की छड़ी और एक सोने की अंगूठी निकाल दी थी। उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया। 4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक कमलम्मा की मौत के बाद, मूल आरोपी नंबर 3, अर्थात् सीताराम भट सामने आया। सीताराम भट (ए-3) पर आरोप है कि उसने अपीलार्थी और गौरी को मृतक के शव को साड़ी में लपेटने और उसके बाद उसे एक दिनमणि की जमीन पर फेंकने में मदद की थी। दीनामणी की भूमि एक जल चैनल के बगल में स्थित है। आरोप है कि एक कौवे की मदद से एक गड्ढा खोदा गया और सबूतों को नष्ट करने के इरादे से मृतक के शव को दफनाया गया।

5. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने सोने के गहने एक जौहरी, सोमशेखर शेट्टी (पीडब्लू 9) को बेच दिए।

पीडब्लू 9 सोमशेखर शेट्टी प्रासंगिक समय पर रिपनपेट में एक आभूषण की दुकान चला रही थीं। जहाँ तक मोबाइल का संबंध है, कहा जाता है कि इसे अपीलार्थी ने अशोक उर्फ को बेच दिया था।

मीरानथ (पीडब्लू 16)। अशोक उर्फ मीरानथ (पीडब्लू 16) सुरथकल नामक स्थान का निवासी है।

6. <ID1 पर, आलोक (गौरी के बेटे) ने मृतक के दामाद, एच. टी. नागेश (पीडब्लू 7) को सूचित किया कि उनकी सास (मृतक) 23.08.2010 के बाद से लापता था। ऐसी परिस्थितियों में, एच. टी. योगेश (पीडब्लू 7) कोप्पा, पुलिस स्टेशन (पी. एस.) गए और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

7. 21 पर 09.12.2010 परः 30 कहा जाता है कि सीताराम भट (ए-3) ने एच. टी. योगेश (पीडब्लू 7) से मुलाकात की और एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी।

उसके सामने यह कहते हुए कि लगभग चार महीने पहले अपीलार्थी और गौरी ने उसे ब्रांडी की एक बोतल का लालच दिया था और ऐसा कहते हुए उसे अपने साथ जाने के लिए कहा था क्योंकि उनके पास कुछ काम था। इसके बाद, कहा जाता है कि अपीलार्थी और गौरी ने एक अतिरिक्त न्यायिक आदेश का खुलासा किया या बनाया।

सीताराम भट (ए-3) के सामने स्वीकारोक्ति कि उन्होंने मृतक कमलम्मा की हत्या की थी और शव को एक पशुशाला में रखा था।

8. अपीलार्थी और गौरी ने सीताराम भट (ए-3) से शव को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करने के लिए कहा। जब सीताराम (ए-3) ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, तो अपीलार्थी और गौरी ने उन्हें धमकी दी। तदनुसार, सीताराम भट (ए-3) उनके साथ गए और मृतक के शरीर से सोने के गहने निकालने और एक दिनमणि के खेत में शव को दफनाने में मदद की।

9. 10.12.2010 पर, एच. टी. योगेश (पीडब्लू 7) पुलिस स्टेशन गए और हत्या के अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण पर,

जाँच शुरू हो गई थी। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जबकि अपीलार्थी और गौरी (ए-2) पुलिस की हिरासत में थे, कहा जाता है कि उन्होंने बयान दिए थे कि वे उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ शव को दफनाया गया था और उस स्थान को भी जहाँ अपराध के हथियार (क्लब) को छुपाया गया था। कहा जाता है कि अपीलार्थी ने यह भी बयान दिया था कि वह उस स्थान को भी दिखाएगा जहाँ उसने मृतक के आभूषण बेचे थे।

11. तदनुसार, एक खोज पंचनामा एक्स। पी. 3 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत तैयार किया गया था। की तस्वीरें

शव को भी निकाला गया और एक्स के रूप में भर्ती किया गया। पी. 4. मृतक के शरीर का पंचनामा, एक्स। पी. 14 भी तैयार किया गया था। 12. जिन आभूषणों के बारे में कहा जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा एक जौहरी, सोमशेखर शेट्टी (पीडब्लू 9) को बेचे गए थे, उनसे एकत्र किए गए थे।

पंचनामा एक्स बनाकर खरीदारी करें। पी. 1.

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. कहा जाता है कि इसमें अपीलार्थी के कपड़े उसके कहने पर मृतक के घर के पास के स्थान से पंचनामा एक्स बनाकर पाए गए थे। पी. 6. अपराध का हथियार (क्लब) भी अपीलार्थी के कहने पर यहाँ पाया गया था। पंचनामा पूर्व। पी. 8. ऐसा प्रतीत होता है कि एक कुदाल के रूप में एक और हथियार की खोज मूल आरोपी नंबर 3 सीताराम के कहने पर एक पंचनामा एक्स बनाकर की गई थी। पी. 8.

14. मृतक के शव को कोप्पा के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

15. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स। पी. 17 से पता चलता है कि मृत्यु का कारण फ्रैक्चर के रूप में सिर की चोटों के कारण था।

16. जाँच के अंत में जाँच अधिकारी ने अपीलार्थी और दो सह-अभियुक्तों के खिलाफ अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। ऊपर वर्णित है। आरोप-पत्र दाखिल करने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा Cr.P.C की धारा 209 के तहत मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जो प्रधान सत्र न्यायाधीश, चिकमंगलूर की अदालत में 2011 के सत्र मामला संख्या 59 के रूप में दर्ज किया गया था।

17. निचली अदालत ने 20.12.2012 के आदेश के अनुसार सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। इसमें अपीलार्थी और अन्य दो सह

अभियुक्त ने आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

18. अभियोजन पक्ष ने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए

उसके मामले के बारे में:

(1)

पीडब्लू 1 सुगंधा, सीडब्ल्यू 7, मृतक की बेटी। पीडब्लू 2 विश्व के. के., सीडब्ल्यू 9, पंच-खोज का गवाह

(2)

आभूषणों की दुकान से आभूषण और

मृत शरीर की खोज।

पीडब्लू 3 नंदी पुरेला, सीडब्ल्यू 11, पंच-गवाह।

(3)

पीडब्लू 4 एच. एस. सत्यमूर्ति, सीडब्ल्यू 13, पंच-गवाह।

(4)

(5)

पीडब्लू 5 टी. सोमैया, सीडब्ल्यू 18, पंच-गवाह। पीडब्लू 6 श्रीधर शेट्टी, सीडब्ल्यू 20, पंच-गवाह।

(6)

(7)

पीडब्लू 7 एच. टी. योगेश, सी. डब्ल्यू 1, मृतक के दामाद

जिनके समक्ष मूल अभियुक्त संख्या 3 कहा जाता है

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की।

पीडब्लू 8 एच. एम. रविकांत, सीडब्ल्यू 4, पंच-गवाह।

(8)

(9) पी. डब्ल्यू. 9 आई. सोमशेखर शेट्टी, सी. डब्ल्यू. 14, जौहरी जिसे आभूषण बेचे गए।

(€ 10) पीडब्लू 10 रवि शेट्टी, सीडब्ल्यू 22, पंच-खोज के गवाह मोबाइल से।

(11) पीडब्लू 11 डॉ. जे. नीलकांतप्पा गौड़ा, सीडब्ल्यू 29, पंच गवाह।

(12) पीडब्लू 12 सी. वी. हरीश, सी. डब्ल्यू 26 पंच-गवाह। (13) पीडब्लू 13 थाउजफ अहमद, सीडब्ल्यू 32, पंच-जगह का गवाह घटना की।

(14) पीडब्लू 14 जे. के. शिवकुमार, सीडब्ल्यू 37, राजस्व अधिकारी।

(15) पीडब्लू 15 दयानंद गौड़ा, सीडब्ल्यू 28, सहायक आयुक्त। (16) पीडब्लू 16 मीरानाथ गौड़ा, सीडब्ल्यू 24, शरथ बार में कुक और रेस्तरां। अपीलार्थी पी. डब्ल्यू. 16 की सहायता करता था रेस्तरां।

(17) पीडब्लू 17 महेश ई. एस., सी. डब्ल्यू. 41, पुलिस अधिकारी।

पीडब्लू 18 मंजेश्वर कलप्पा, सीडब्ल्यू 40, पुलिस अधिकारी।

(19) पीडब्लू 19 टी. संजीव नाइक, सीडब्ल्यू 42, पुलिस अधिकारी।

19. अभियोजन पक्ष ने एफ. आई. आर., पूछताछ पंचनामा, खोज पंचनामा आदि में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

20. निचली अदालत ने मल में निर्धारण के निम्नलिखित बिंदुओं को तैयार कियाः

" 1) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि कमलम्मा ने देर से शादी की है

2) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि 23.8.2010 पर या उसके आसपास, कोप्पा तालुक के हिरेकुडिगे गाँव में, आरोपी संख्या। 1 और 2, अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए या अन्यथा, सहमत हुए और कमलम्मा की हत्या करने के लिए एक दूसरे के साथ साजिश रची। स्वर्गीय मंजप्पनिका, और इस प्रकार एक अपराध किया

आई. पी. सी की धारा 34 के साथ? 3) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि उपरोक्त तिथि को लगभग 9 बजे, कोप्पा तालुक के हिरेकुडिगे गांव में कमलम्मा के घर पर, आरोपी संख्या। 1 और 2, आगे बढ़ने में [2022] 14 एस. सी. आर.

समान इरादे से, जानबूझकर और जानबूझकर कमलम्मा की हत्या करके, हमला करके

क्लब के माध्यम से उसके सिर और गर्दन पर, और इस तरह धारा के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया।

4) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर अभियुक्त संख्या 1 ने सोने की चेन की चोरी की थी, ईयरस्टड्स की एक जोड़ी, एक सोने की अंगूठी और एक मोबाइल हैंडसेट

मृतक कमलम्मा से संबंधित और इस प्रकार प्रतिबद्ध

आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध? 5) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि

होराबिलु में सरकारी चैनल, एक इरादे के साथ अपराधियों (अभियुक्त Nos.1 और 2) की कानूनी जाँच करें।

दण्ड, और इस प्रकार दंडनीय अपराध किया

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के तहत? 6) कौन सा आदेश? "

21. निर्णय के उपरोक्त बिंदुओं का उत्तर निचली अदालत ने इस प्रकार दियाः

" बिंदु संख्या 1: - सकारात्मक रूप से;

बिंदु संख्या 3: - नकारात्मक में; बिंदु संख्या 4: - नकारात्मक में;

बिंदु संख्या 5: - नकारात्मक में;

बिंदु संख्या 6: - अंतिम आदेश के अनुसार, निम्नलिखित के लिएः

22. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए पक्ष की परिस्थितियों पर भरोसा कियाः

(1) अपराध करने के लिए प्रेरित करें। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसमें अपीलार्थी का मूल आरोपी नं. 2 , अर्थात्, गौरी और मृतक उनके रास्ते में आ रहे थे।

ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी और मूल अभियुक्त

(2) आरोपी नंबर 3 सीताराम भट द्वारा घटना की तारीख के चार महीने बाद पीडब्लू 7 योगेश (मृतक के दामाद) के सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कथित तौर पर की गई थी। (3) साक्ष्य की धारा 27 के तहत पंचनामा बनाकर इसमें अपीलार्थी के कहने पर शव की खोज

एक्ट करें।

(4) आभूषण विक्रेता की दुकान से आभूषणों की बरामदगी

(पीडब्लू 9) इसमें अपीलार्थी के आग्रह पर एक

पंचनामा।

(5) अपराध के हथियार की खोज, मोबाइल

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के कहने पर मृतक और अपीलार्थी के कपड़े।

23. अब हम मुकदमे द्वारा निर्धारित तर्कों पर गौर करेंगेः उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करते हुए,परिस्थितियों को कम करना, अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करना।

नीचे दिए गए अनुसारः

साक्ष्य, उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह मजबूत और विश्वसनीय होना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष मकसद साबित करने में विफल रहता है, तो यह आरोपी के लिए फायदेमंद होगा। भले ही <ID1,2 और 7 ने अपदस्थ कर दिया है कि P. W. 1 की माँ, मृतक उसे बताती थी कि A-1 और A-2 के अवैध संबंध हैं और वह उन्हें इस तरह के अवैध संबंध रखने के लिए डांटती थी, लेकिन अगर हम P. W. 1 की प्रतिपरीक्षा देखते हैं, तो यह पता चलता है कि A-1, A-2 का दूर का भाई है और इससे पहले एक पंचायत थी। मृतक और ए-2 के बीच संपत्तियों का विभाजन। अभियोजन पक्ष के मामले में भी, अभियोजन पक्ष ने किसी भी गवाह से पूछताछ करके अवैध होने के उक्त तथ्य को साबित नहीं किया है।

ए-1 और ए-2 के बीच संबंध, जिन्होंने या तो उन्हें [2022] 14 एस. सी. आर. देखा है।

एक साथ या कि उन्होंने उन्हें इसे छोड़ने की सलाह दी है। यद्यपि पी. डब्ल्यू. 1, बेटी और पी. डब्ल्यू. 7, मृतक के दामाद ने ए-1 और ए-2 के बीच अवैध संबंध के बारे में गवाही दी है, लेकिन उन्होंने यह बयान दिया है कि मृतक अवैध संबंधों के बारे में बताता था और वे सीधे संबंध नहीं हैं।

उक्त तथ्य की पुष्टि करने के लिए गवाह। उनके प्रमाण प्रकृति में केवल सुनी-सुनाई बातें हैं। इस प्रकार, अवैध संबंध के संबंध में साक्ष्य कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय नहीं है।

35. दूसरी परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का इरादा रखता है, वह है मृतक के दामाद पी. डब्ल्यू. 7 के समक्ष ए-3 द्वारा की गई स्वीकारोक्ति। अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि 9.12.2010 पर वह गदिकलू गया था और लगभग 9:30 बजे, सर्कल के पास, ए-3 उससे मिला और वहाँ उसने बताया कि लगभग 3 या 3 1/2 महीने पहले उसे ए-1 द्वारा बुलाया गया था और बताया गया था कि उसने कमलम्मा की हत्या कर दी थी और शव को दफनाने के लिए, उसने ब्रांडी की दो बोतलें देकर उसकी मदद मांगी और उसने यह भी कहा कि अगर वह नहीं मानेगा, तो वह उसे भी मार देगा जैसा कि उसके बहनोई श्रीनिवास गौड़ा के साथ किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने उन्हें ले जाने में मदद की

मृत शरीर को दीनामणि की भूमि के पास टीले पर ले जाया गया और उसे दफनाया गया। क्रॉससेक्सैमिनेशन के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया है कि वह किसी भी व्यक्तिगत मामले को नहीं पूछने जा रहे हैं

ए-3 और न ही वह उसे अपने व्यक्तिगत मामले बताएगा। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उन्हें उन पर कोई विश्वास नहीं है और इसके विपरीत, ए-3 को भी उन पर कोई विश्वास नहीं है। ए-3 पी. डब्ल्यू. 7 का मित्र या रिश्तेदार भी नहीं है। यह स्थापित करने के लिए कि ए-3 ने पी. डब्ल्यू. 7 के समक्ष स्वीकारोक्ति की थी, ए-3 ने उस पर विश्वास किया होगा और उसे उस व्यक्ति के साथ कुछ विश्वास होना चाहिए जिसके साथ वह ऐसा स्वीकारोक्ति कर रहा है। जब पी. डब्ल्यू. 7 न तो रिश्तेदार है और न ही मित्र है, तो ए-3 पी. डब्ल्यू. 7, जो मृतक का करीबी रिश्तेदार है, के सामने इस तरह का इकबालिया बयान क्यों देने जा रहा है, यह एक रहस्य है। तथ्यों के तहत और

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्ष्य, न्यायालय को यह भी सत्यापित करना चाहिए कि क्या अभियुक्त इस पर विश्वास कर सकता है एक व्यक्ति जो अपने जीवन के किसी गुप्त पहलू का खुलासा करे। इसके लिए

कानून का प्रस्ताव, मैं उस निर्णय पर भरोसा करना चाहता हूं जो सुब्रमण्य बनाम ने बताया था।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एयर 1975 सुप्रीम कोर्ट 258 में, [पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह और अन्य] जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः -

" (ग) साक्ष्य अधिनियम (1872), धारा 24-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का मूल्य

चीज़ों की प्रकृति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है। (तत्काल मामले में इस संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में प्रशंसनीयता का अभाव था और यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता था।) पैरा 15 "

36. एसके के मामले में [2011] एसीआर 704 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य निर्णय में। यू. एस. यू. एफ. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

" ग. साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 25-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को सच होने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए और स्वेच्छा से और मन की एक उपयुक्त स्थिति में किया जाना चाहिए-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। पैरा 22 "

अपराध किए जाने के संबंध में, यह उस घटना के तुरंत बाद किया जाएगा जो उन्होंने की है और लंबे अंतराल के बाद नहीं और स्वीकारोक्ति तुरंत उस व्यक्ति के सामने की जाएगी जो उसके साथ आता है और जिसके साथ वह पूरा विश्वास कर रहा है। इस संबंध में भी जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह नहीं है।

ठोस और विश्वसनीय और अभियोजन पक्ष उक्त परिस्थिति को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है जिस पर वह भरोसा करने का इरादा रखता है।

38. तीसरी परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का इरादा रखता है, वह है अभियुक्त का स्थान दिखाना।

अपराध करना और मृत शरीर को दफनाने का स्थान। P.W.19 के साक्ष्य के अनुसार, जाँच अधिकारी ने 10.12.2010, C.Ws.36 पर और 37 ने आरोपी नंबर 1 को यहाँ पेश किया।

लगभग 9 बजे; C.Ws.34 और 35 ने एक ही समय में आरोपी नंबर 2 को पेश किया; और P.Ws.17 और C.W.38 ने एक ही समय में आरोपी नंबर 3 को पेश किया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने उनके स्वैच्छिक बयान दर्ज किए और उसके आधार पर उन्होंने दफनाने के स्थान का पता लगाया। अगर हम स्वैच्छिक [2022] 14 एस. सी. आर. देखें।

Ex.P.28 के अनुसार ए-1 के बयान में उन्होंने कहा है कि वह दफनाने का स्थान दिखाएंगे। उसने स्वेच्छा से यह भी कहा है कि उसने मृतक कमलम्मा की हत्या कर दी है और वह क्लब, मोबाइल, कुदाल और एक अन्य क्लब का निर्माण करेगा। इसका उपयोग शव के परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है और वह उन आभूषणों का भी उत्पादन करेगा जो उसने शरीर से लिए हैं और उन्हें Ex.P.28 के रूप में चिह्नित किया गया है। अभियुक्त सं। 2 और 3 ने स्वेच्छा से वह स्थान दिखाया है जहाँ उन्होंने मृत शरीर को दफनाया है। यदि हम अन्य गवाहों के साक्ष्य के साथ इस गवाह के साक्ष्य को देखते हैं, तो यह अभियुक्त संख्या नहीं है। 2 और 3 जिन्होंने आई. ओ. और पंच गवाहों को लिया और दफनाने की जगह दिखाई। P.Ws.2 और 8 ने अपदस्थ किया है कि लगभग एक साल पहले, उन्होंने एक टीले पर दिनमणि भूमि पर स्थित एक हल्ला के पास मृतक का शव देखा था और वहाँ, Dy.S.P और ए. सी. भी मौजूद थे। ए-1 और ए-3 ने शव को दफनाने का स्थान दिखाया। लेकिन, कहीं भी इन गवाहों ने यह नहीं कहा है कि ए-1 और ए-3 ने उनका नेतृत्व किया और उन्हें दफनाने का स्थान दिखाया। यदि पहले से ही उक्त दफन स्थल है

आई. डी. 1 और ए. सी. को पता था, तो ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि यह अभियुक्त के कहने पर है कि उक्त स्थान की खोज की गई है। यदि हम पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य को देखते हैं, तो उन्होंने बयान दिया है कि उक्त शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत था और मृत शरीर पर एक ब्लाउज और एक पेटीकोट पाया गया था और यदि हम पी. डब्ल्यू. 15 के साक्ष्य को देखते हैं, तो उन्होंने उस आरोपी को पदच्युत कर दिया है। 1 और 3 उन्हें सर्वेक्षण No.121 में एक टीले तक ले गए और उस जगह को दिखाया जहाँ उन्होंने दफनाया था

मृतक कमलम्मा का शव और उन्होंने इसे ए-1, ए-3 और पीडब्लू-3 के माध्यम से निकाला। उक्त शरीर अत्यधिक सड़ चुका था और उक्त शरीर के ऊपर एक पुराने प्रकार का ब्लाउज और एक पेटीकोट था। लेकिन अगर हम इस गवाह की प्रतिपरीक्षा देखते हैं, तो उसे 10.12.2010 पर अनुरोध प्राप्त हुआ और

इसके बाद आई. डी. 2 पर उसने शव को बाहर निकालने का समय तय किया और वह लगभग आई. डी. 1 बजे वहाँ गया और जब वह गाँव में प्रवेश करने वाला था, तो ए-1 और ए-3 के साथ पुलिस भी थी और अन्य गवाह, डॉक्टर और वीडियोग्राफर भी मौजूद थे। फिर, ऐसी परिस्थितियों में, P.W.15 के साक्ष्य कि A-1 और A-3 ने उन्हें प्रेरित किया और दिखाया कि जिस स्थान पर उन्होंने शव को दफनाया था, वह भी नहीं है।

विश्वसनीय और विश्वसनीय। यह पहली बार नहीं है जब वह सुब्रमण्य बनाम आए थे।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उस जगह के शव के बारे में जानने के लिए। उसके पास है

स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया गया कि शरीर अत्यधिक विघटित था। लेकिन अगर हम P.W.11, डॉक्टर के सबूत देखें, तो उन्होंने पाया कि एक अर्ध-विघटित, पैर स्थिति में छोटे अर्ध-मुड़े हुए थे, सिर काले और भूरे बालों से ढका हुआ था जो 12 इंच मापते थे।

लंबाई में, शरीर का दो तिहाई हिस्सा विघटित हो गया था और स्तन भी अर्ध-विघटित था। यदि कथित हत्या 23.8.2010 पर हुई है, शरीर की उपरोक्त स्थिति के साथ, शरीर का निष्कासन 11.12.2010 से पहले किया गया होना चाहिए न कि 11.12.2010 पर, साढ़े तीन महीने बाद जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है, या अन्यथा, मृत्यु बाद की तारीख में हुई होगी जो निष्कर्षण और परीक्षा की तारीख के करीब है। P.W.19 के अनुसार, अभियुक्त संख्या। 2 और 3 ने स्वेच्छा से वह स्थान दिखाया जहाँ उनके पास है

शव को दफनाया, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी संख्या। 1 और 3 ने जगह दिखाई है। इससे संदेह भी पैदा होता है। इस संबंध में, यह दिखाने के लिए साक्ष्य में कोई एकरूपता नहीं है कि ए-1 और ए-3 के संदर्भ में उनके स्वैच्छिक कथन से दफन स्थान के बारे में तथ्य का पता चला है। ऐसी परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का इरादा रखता है, उसे उचित संदेह से परे साबित नहीं कहा जा सकता है।

39. अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का इरादा रखता है, वह है गहने की बरामदगी

अभियुक्त नं. 1 का उदाहरण। इस संबंध में अभियोजन पक्ष पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 9 के साक्ष्य पर भरोसा करने का इरादा रखता है। पी. डब्ल्यू. 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 2 या 3 दिनों के बाद फिर से पुलिस ने उसे बुलाया और C.W.13 के साथ ए-1 भी मौजूद था और खुद, C.W.13 और पी. आई. को ए-1 द्वारा रिपनपेट ले जाया गया था। वहाँ ए-1 उन्हें सोमेश्वर ज्वैलर्स की दुकान पर ले गया और वहाँ ए-1 ने अपने द्वारा दिए गए सोने के गहने देने के लिए कहा और C.W.14 ने उक्त सोने के गहने वापस कर दिए और उन्हें Ex.P.1 के अनुसार एक मजार खींचकर जब्त कर लिया गया। मान लीजिए, यह गवाह मृतक का भतीजा है और भले ही पुलिस स्टेशन और आभूषण की दुकान के बगल में बहुत सारे हैं

दुकानें और अन्य व्यक्ति उपलब्ध थे, लेकिन इस विशेष व्यक्ति को गवाह के रूप में क्यों चुना गया है, यह भी नहीं है

आने वाला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. पी. डब्ल्यू. 9 आभूषण की दुकान का मालिक है। उन्होंने अपदस्थ किया है कि ए-1 ने साढ़े तीन महीने पहले अपनी दुकान पर आकर सोने की वस्तुओं को बेच दिया था और उन्होंने उक्त वस्तुओं को वापस कर दिया था और उन्हें Ex.P.1 के अनुसार एक मजार खींचकर जब्त कर लिया गया था। जिरह के दौरान, उन्होंने अपदस्थ किया है कि वे सोना खरीदने के लिए कोई रसीद पुस्तिका नहीं रखेंगे और उन्होंने यह भी अपदस्थ किया है कि जब उन्होंने सोने की वस्तुएँ खरीदी थीं, तो वे बिल्कुल नई थीं और सोने की वस्तुओं पर टूट-फूट पाई जाएगी, भले ही उन्हें नए परतों के साथ नवीनीकृत किया गया हो। जब उक्त वस्तुएँ नई प्रतीत होती हैं और पी. डब्ल्यू. 9, जो एक जौहरी हैं, द्वारा उनकी खरीद के साढ़े तीन महीने बाद भी, वे उसी स्थिति में थीं जिसमें ए-1 के कहने पर उन्हें बरामद किया गया था, तो विश्वास करना मुश्किल है और इस संबंध में भी अभियोजन पक्ष का मामला स्वीकार करने योग्य नहीं है।

41. अगली परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का इरादा रखता है, वह है क्लब, छतरी, मोबाइल और

कुदाल और ए-1 और ए-3 के कपड़ों को जब्त करना। भले ही वसूली साक्ष्य P.Ws.8,10,16 और P.Ws.4 और 5 द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अगर हम उनके साक्ष्य की बारीकी से जांच करते हैं, तो जिस क्लब को बरामद किया गया है, उस पर भी कोई दाग नहीं है और यह एक नया है। यहां तक कि यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उस विशेष क्षेत्र में फेंके गए उक्त क्लब उस स्थिति में उपलब्ध होंगे जिसमें

साढ़े तीन महीने बाद भी उन्हें फेंक दिया गया है। निर्वस्त्र होकर।

इस अदालत को देखते हुए, एम. ओ. 9 और 14 नए क्लबों की तरह हैं। यदि वे बारिश, पानी और धूप के संपर्क में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका रंग और आकार बदल जाता। इसी तरह, अभियुक्त व्यक्तियों के कपड़ों की बरामदगी। इस पक्ष में भी, इन सभी अनुच्छेदों के वसूली साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है।

42. यद्यपि विद्वान लोक अभियोजक ने जोरदार तर्क दिया और तर्क दिया कि अभियुक्त के कहने पर शव को बाहर निकाल लिया गया है और बरामदगी की गई है और ए-3 ने पी. डब्ल्यू. 7 के समक्ष भी स्वीकार किया है और अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि ए-1 और ए-2 के अवैध संबंध थे, लेकिन उपरोक्त के तहत यह स्वीकार्य नहीं है।

परिस्थितियाँ।

43. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में सामग्री गवाहों से उन कारणों से पूछताछ नहीं की गई है जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं। यह वह है

अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला कि आरोपी संख्या 2 के पुत्र आलोक ने पी. डब्ल्यू. 7 को मृतक के लापता होने के बारे में सूचित किया। लेकिन उक्त आलोक की जाँच नहीं की गई है। मृतक का शव दिनमणि के सर्वेक्षण No.121 में दफनाया हुआ पाया गया है और नारायणस्वामी, और जब उक्त शव वहाँ पाया गया था

उक्त भूमि उनकी है, तो, इस तरह के तहत

परिस्थितियों में, उन्हें भौतिक गवाह माना जाता है। इन भौतिक गवाहों की गैर-परीक्षा भी उस अंतराल को नहीं भरेगी जिसे अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के लिए भरना होगा। किस तारीख से मृतक लापता था और कैसे किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया

अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के लापता होने के कारणों को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है, जिनके बारे में उसे सबसे अच्छी तरह से पता है। यह विशेष संदेह अभियुक्त के लाभ के लिए भी जाता है। भले ही पीडब्लू 1 को पता था कि मृतक, उसकी माँ के पास मोबाइल था और 24.8.2010 पर उसकी माँ के लापता होने के बारे में पता चलने के बाद, वह अपनी माँ के मोबाइल पर कॉल करने का कोई प्रयास नहीं करेगी जो उसकी ओर से एक अप्राकृतिक आचरण है। कोई भी बेटी, यह जानने के बाद कि माँ लापता है, चुप नहीं रहेगी, वह भी जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ के पास मोबाइल है। निश्चित रूप से वह फोन कर सकती थी। किन कारणों से पी. डब्ल्यू. 1 ने उसे कोई फोन नहीं किया

माँ का मोबाइल भी एक संदिग्ध परिस्थिति है।

44. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब दो विचार होते हैं

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से संभव है, जो

अभियुक्त के पक्ष में लिया जाना चाहिए और

संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं नकारात्मक में बिंदु Nos.2 से 5 का उत्तर देता हूं।

जी. एस. 25. कर्नाटक राज्य इस फैसले से असंतुष्ट हैनिचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को [2022] 14 एस. सी. आर. द्वारा चुनौती दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2013 की आपराधिक अपील संख्या 473 दायर करना। उच्च न्यायालय ने पूरे मौखिक और साथ ही अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन पर, जहां तक मूल अभियुक्त संख्या 2 गौरी उर्फ गौरम्मा का संबंध है, बरी करने की अपील को खारिज कर दिया, जिससे वह बरी हो गई। हालाँकि, इसमें अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 25,000 / - . अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था और उसे पांच साल के लिए साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 5,000 / - . मूल आरोपी नंबर 3 सीताराम भट को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे तीन साल की अवधि के लिए साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 5,000 / - और चूक के मामले में दो महीने की अवधि के लिए और साधारण कारावास से गुजरना होगा।

26. हमें सूचित किया जाता है कि मूल आरोपी नंबर 3 सीताराम भट ने दोषसिद्धि स्वीकार कर ली है और सजा काट ली है। द.

मूल अभियुक्त सं. 3 ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं करना उचित समझा।

27. यह अपीलार्थी (मूल अभियुक्त संख्या 1) है, जो वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

संपर्क करें

28. अपीलार्थी दोषी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कृष्ण पाल सिंह ने जोरदार तरीके से कहा कि उच्च न्यायालय ने अपराध किया है।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटकर विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को पारित करने में एक गंभीर त्रुटि। विद्वान वकील के अनुसार, बरी किए जाने पर फैसले में बैठने के दौरान, अपीलीय अदालत को पहले इस सवाल का जवाब मांगने की आवश्यकता होती है कि क्या निचली अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं या स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। अगर

अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में देता है, दोषमुक्त करने के आदेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, यह मानता है कि उपरोक्त किसी भी दुर्बलता को देखते हुए, बरी करने का आदेश बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है, तो वह तब-और उसके बाद ही-अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। द.

अपीलार्थी दोषी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि मामले में, सुब्रह्मण्य बनाम द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।

कर्नाटक राज्य

[जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से गलत है,

स्पष्ट रूप से गलत या स्पष्ट रूप से अस्थिर। 29. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को कथित बनाने में एक गंभीर त्रुटि की है

मूल अभियुक्त संख्या 3 सीताराम भट द्वारा घटना की तारीख से लगभग चार महीने बाद पीडब्लू 7 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आधार है और उसके बाद, पुष्टि की खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया था कि अन्यथा भी, एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है। वे तर्क देंगे कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को दोषी ठहराने के उद्देश्य से पीडब्लू 7 योगेश के समक्ष आरोपी संख्या 3 सीताराम द्वारा कथित रूप से किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।

साक्ष्य अधिनियम। 31. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जा सकता है।

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

32. दूसरी ओर कर्नाटक राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री वी. एन. रघुपति ने इसका पुरजोर विरोध किया है।

यह प्रस्तुत करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, यह कहा जा सकता है। वह प्रस्तुत करेगा कि परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित हैं जो केवल अपीलार्थी दोषी के अपराध की ओर इशारा करती हैं। ऐसे में ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

33. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि की है।

34. उच्च न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए था कि वह धारा 378 [2022] 14 एस. सी. आर. के तहत राज्य द्वारा दायर बरी करने की अपील पर विचार कर रहा था।

Cr.PC का। अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की समीक्षा करना उपयोगी होगा। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील का फैसला करते समय।

35. उच्च न्यायालय की शक्तियों पर सबसे शुरुआती मामलों में से एक में, न्यायिक को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए शीओ स्वरूप बनाम में प्रिवी काउंसिल की समिति। राजा-सम्राट,

1934 एससीसी ऑनलाइन पीसी 42: (1933-34) 61 आई ए 398: ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2) ने बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया और निम्नानुसार अवलोकन कियाः

" ..... लेकिन संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और तथ्य पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, उच्च न्यायालय को हमेशा उचित महत्व और विचार देना चाहिए और करेगा।

इस तथ्य से कमजोर हो जाता है कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय अदालत की धीमी गति, जिसे देखने का लाभ था। गवाहों को। हालाँकि, यह कहना केवल यह कहना है कि उच्च न्यायालय को अपील के अपने संचालन में नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और करेगा।

न्याय के प्रशासन में मान्यता प्राप्त "।

यह कहा गया था कि अपीलीय न्यायालय के पास बरी किए जाने के फैसले की समीक्षा करने और उसे उलटने की पूरी शक्तियां हैं।

36. शीओ स्वरूप (ऊपर) के बाद यह न्यायालय चंद्रप्पा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य ने (2007) 4 एस. सी. सी. 415 में रिपोर्ट किया निम्नानुसारः

" 16. हालाँकि, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा इसकी पुष्टि और मजबूती की जाती है। सुब्रमण्य बनाम।

37. एटली वी। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, बरी करने के फैसले पर विचार करते समय अपीलीय अदालत के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई और यह देखा गया कि जब तक अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि बरी करने का फैसला विकृत था, तब तक यह

उसी को अलग नहीं रख सके। एक समान प्रभाव के लिए निम्नलिखित हैं

इस न्यायालय की टिप्पणियों को जे. सुब्बा राव के माध्यम से बोलते हुए (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) संवत सिंह और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य, आकाशवाणी

1961 पैरा 9 में एस. सी. 715 निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

शिव स्वरूप के मामले में निर्धारित, 61 इंड ऐप 398: (ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2)) ऐसी अपील के निपटारे में किसी मामले में अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण के लिए एक सही मार्गदर्शन प्रदान करता है; और (3) इस न्यायालय के निर्णयों में उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांश, जैसे, (i) "सारवान और सम्मोहक कारण", (ii) "अच्छा"

और पर्याप्त रूप से ठोस कारण ", और (iii)" मजबूत कारण "का उद्देश्य किसी व्यक्ति की निस्संदेह शक्ति को कम करना नहीं है।

बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय को पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपील करनी चाहिए; लेकिन ऐसा करते समय उसे न केवल तथ्य के प्रश्नों और उन तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुंचने में बरी किए जाने के अपने आदेश के समर्थन में नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करना चाहिए, बल्कि अपने निर्णय में उन कारणों को भी व्यक्त करना चाहिए, जो उसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

कि बरी होना उचित नहीं था "।

38. उपरोक्त टिप्पणियों की आवश्यकता अहेर राजा खीमा बनाम में बहुमत की टिप्पणियों के कारण उत्पन्न हुई। की स्थिति

सौराष्ट्र, ए. आई. आर 1956 एस. सी. 217: 1956 सी. आर. आई. एल. जे. 426, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए "यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त और सम्मोहक कारण भी होने चाहिए कि निचली अदालत थी

गलत "।

39. एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर 1963 एस. सी. 200: (1963) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 235, इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय है, जो गजेंद्रगढ़कर, जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) के माध्यम से बोल रहा है। इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण (अपीलीय)

अदालत) को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान [2022] 14 एस. सी. आर. नहीं है।

निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर हो गया कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है।

40. शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य वी। की स्थिति

महाराष्ट्र (1973) 2 एस. सी. सी. 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033, पैरा 6 में,

कृष्ण अय्यर, जे. ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 6. ..... संक्षेप में, अनुमानित निर्दोषता के लिए हमारे न्यायशास्त्रीय उत्साह को आपराधिक न्याय को शक्तिशाली और यथार्थवादी बनाने की व्यावहारिक आवश्यकता से नियंत्रित किया जाना चाहिए। एक संतुलन बनाना होगा

मौका संभावनाओं का पीछा करने के बीच जो अपराधी को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है और प्रधान के तर्क को काट रहा है

सीमान्त निर्दोषों को दंडित करने की संभावना।

41. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम में यह न्यायालय। गुजरात राज्य,

(1996) 9 एससीसी 225: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 972 ने पैरा 7 में अभियुक्त को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में बात की और निम्नानुसार कहाः

बरी किए जाने पर फैसले में बैठे हुए

“ % .

अपीलीय न्यायालय को सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कि क्या निचली अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं या स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं।

यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देता है तो बरी करने के आदेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, यह अभिनिर्धारित करता है कि उपरोक्त किसी भी दुर्बलता को देखते हुए बरी करने का आदेश बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है, तो वह ऐसा कर सकता है-और फिर

केवल अपने दम पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करें निष्कर्ष निकालते हैं।

उपरोक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता न हो। दूसरे शब्दों में, वहाँ नहीं होना चाहिए

दोषी को बरी करना या किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना।

42. अजीत सावंत माजगवाई बनाम। कर्नाटक राज्य, (1997) 7 एससीसी 110: 1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 992, पैरा 16 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो किसी अपील की सुनवाई को विनियमित और नियंत्रित करेंगे। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालयः

" 16. इस प्रकार इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जो उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई को नियंत्रित और विनियमित करेंगे।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

न्यायालय द्वारा। इन सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है

असंख्य मामले और निम्नानुसार दोहराए जा सकते हैं:

(1) बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय के पास सभी शक्तियां हैं, और इसकी शक्तियों से कम कुछ नहीं है।

के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए

दृढ़ विश्वास।

(2) उच्च न्यायालय के पास पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष और निष्कर्ष पर आने की शक्ति है, यदि उक्त निष्कर्ष साक्ष्य के वजन के खिलाफ हैं।

अभिलेख पर, या दूसरे शब्दों में, विकृत।

(3) बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को प्रत्येक आधार पर विचार करना होगा जिस पर बरी करने का आदेश आधारित था और उन आधारों को स्वीकार नहीं करने और निचली अदालत द्वारा व्यक्त किए गए विचार की सदस्यता नहीं लेने के लिए अपने स्वयं के कारणों को दर्ज करना होगा कि आरोपी बरी होने का हकदार है।

(4) बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटते हुए, उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि निर्दोष होने का अनुमान अभी भी अभियुक्त के पक्ष में उपलब्ध है और यह मामले में पारित बरी किए जाने के आदेश से मजबूत और मजबूत होता है।

निचली अदालत ने उसका पक्ष लिया। (5) यदि उच्च न्यायालय, साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य सामग्री की एक नई जांच और पुनर्मूल्यांकन पर, राय रखता है

कि एक अन्य दृष्टिकोण है जिसे उचित रूप से लिया जा सकता है, तो वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के पक्ष में है, अपनाया जाना चाहिए।

(6) उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान रखना होगा कि निचली अदालत को व्यवहार को देखने का लाभ था गवाहों और न्यायालय में उनके आचरण का निरीक्षण, विशेष रूप से गवाह-पेटी में।

(7) उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान रखना होगा कि उस स्तर पर भी अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार था। शक की बात ऐसा होना चाहिए कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति अभियुक्त के अपराध के बारे में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से विचार करे।

43. चंद्रप्पा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने की अपील की सुनवाई करते समय शक्ति का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण अंतर है। अपीलीय अदालत [2022] 14 एस. सी. आर. नहीं करेगी।

जहां आक्षेपित निर्णय साक्ष्य पर आधारित है और लिया गया निर्णय उचित और प्रशंसनीय था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलीय इस तथ्य का निर्धारण करेगा कि एड के पक्ष में अनुमान है और अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन यदि वह हस्तक्षेप करना चाहता है तो उसे निर्णय छोड़ने के साथ मतभेद के कारण निर्दिष्ट करने चाहिए। निर्णयों के एक समूह का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने अपील की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया।

वींग शब्दः

" 42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, अपीलीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत

एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अदालत

बरी होने का मामला सामने आता हैः (1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और

इससे पहले कि वह अपने स्तर पर पहुँच सके, साक्ष्य पर अपीलीय न्यायालय

निष्कर्ष, तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर। (3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत"

"परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ",

आदि का उद्देश्य व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील में अपीलीय अदालत। इस तरह

वाक्यांशों की प्रकृति "के फलने-फूलने" की अधिक होती है।

भाषा "की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देना

साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए न्यायालय।

(4) तथापि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि -

बरी होने के मामले में, पक्ष में दोहरी धारणा है अभियुक्त। सबसे पहले, निर्दोष होने का अनुमान उपलब्ध है।

आपराधिक के मौलिक सिद्धांत के तहत उसे

न्यायशास्त्र कि प्रत्येक व्यक्ति को माना जाएगा

जब तक वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक वह निर्दोष है। दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को और मजबूत किया जाता है, फिर से पुष्टि की जाती है

और विचारण न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

44. नेपाल में सिंह बनाम। हरियाणा राज्य, (2009) 12 एस. सी. सी. 351, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम में निर्णय को उलट दिया। नेपाल

सिंह, 1993 का सी. आर. ए.-डी. नं. 99-डी. बी. ए., उच्च न्यायालय का दिनांक 21-7-1997 (पी. एंड एच.) का आदेश, जिसने बरी किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था।

विचारण न्यायालय द्वारा और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अभियुक्त को बरी करने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया गया। 45. जिन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, वे हैं -

संक्षेप में इस प्रकार हैः 45.1 . आम तौर पर, यह न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहता है, विशेष रूप से जब बरी करने के आदेश की पुष्टि हो चुकी हो।

उच्च न्यायालय तक। यह केवल दुर्लभतम मामलों में है, जहां उच्च न्यायालय, तर्क की बिल्कुल गलत प्रक्रिया पर और कानूनी रूप से

मामले के तथ्यों के प्रति गलत और विकृत दृष्टिकोण, कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए, अभियुक्त को बरी कर दिया है, कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसे उलट दिया जा सकता है। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सहाय और अन्य, (1982) 1 एस. सी. सी. 352]। अपील पर विचार करने के अधिकार पर ऐसे बंधन लगाए जाते हैं

एक व्यक्ति, जिसे एक सक्षम अदालत द्वारा आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया है, को मामले की आगे की जांच की चिंता और तनाव के लिए उजागर करने की अनिच्छा से, भले ही यह एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आयोजित किया गया हो। अदालत। [अरुणाचलम बनाम। पी. एस. आर. साधनानथम और एक अन्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 297]। बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, जो वैध और भारी कारणों को दर्ज करने के बाद, एक अनुपलब्ध, तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच गया है जो बरी किए जाने को उचित ठहराता है। [की स्थिति

हरियाणा बनाम. लखबीर सिंह और एक अन्य, 1991 सप्लीमेंट (1) एससीसी 35: 1990 Cri LJ 2274]।

45.2 . हालाँकि, इस न्यायालय ने कुछ अवसरों पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया है। परिस्थितियों के तहत

जिसे यह न्यायालय दोषमुक्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और दोषसिद्धि का आदेश पारित कर सकता है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

45.2. 1 . जहाँ उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण या तर्क है

विकृतः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा संदेह और अनुमानों के आधार पर निर्विवाद साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है, जो कि अवास्तविक हैं। [राजस्थान राज्य बनाम। सुखपाल सिंह और अन्य (1983) 1 एस. सी. सी. 393]। उदाहरण के लिए, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के प्रत्यक्ष, सर्वसम्मत विवरणों को बिना ठोस तर्क के छूट दी गई थी। [यू. पी. राज्य बनाम शंकर, 1980 सप एस. सी. सी. 489: 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 428] (ख) जहाँ रिश्तेदारों की गवाही के आंतरिक गुण, जीवित

पीड़ित के साथ उसी घर में, इस आधार पर छूट दी गई थी कि वे "इच्छुक" गवाह थे। [यू. पी. राज्य बनाम हाकिम सिंह और अन्य, (1980) 3 एस. सी. सी. 55]।

(ग) जहां उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों की गवाही पर विश्वास नहीं किया गया था, गवाहों की ओर से अभियुक्त को फंसाने के व्यक्तिगत उद्देश्य के अवास्तविक अनुमान पर, जबकि वास्तव में, गवाहों के पास उक्त मामले में पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। [की स्थिति

राजस्थान बनाम. सुखपाल सिंह और अन्य (1983) 1 एस. सी. सी. 393]।

(घ) जहाँ मृतक पीड़ित की मृत्यु घोषणा को उच्च न्यायालय द्वारा एक अप्रासंगिक आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अपराध की घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों में से एक पर पाई गई चोट की व्याख्या नहीं की थी। [अरुणाचलम बनाम। पी एस आर।

" "उचित संदेह से परे प्रमाण" के बजाय अंतर्निहित प्रमाण और इसलिए साक्ष्य का त्रुटिपूर्ण तरीके से मूल्यांकन किया। [राज्य उत्तर प्रदेश का बनाम। रांझा राम और अन्य (1986) 4 एस. सी. सी. 99]।

(1) जहाँ उच्च न्यायालय ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण और मनमौजी सिद्धांत के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य को खारिज कर दिया, जो अभियुक्त की याचिका से परे थे; [महाराष्ट्र राज्य बनाम। चंपालाल

पुंजाजी शाह, (1981) 3 एस. सी. सी. 610] या जहां बरी होना केवल संदेह के लाभ के शासन के प्रति अतिरंजित समर्पण में निहित है अभियुक्त। [गुरबचन सिंह बनाम। सतपाल सिंह और अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 445]।

(छ) जहाँ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया कि उसका अपराध करने का कोई पर्याप्त उद्देश्य नहीं था, हालाँकि, उक्त मामले में, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए मजबूत प्रत्यक्ष साक्ष्य था, जिससे सुब्रमण्य बनाम की ओर से इसे अनावश्यक बना दिया गया।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अभियोजन पक्ष "उद्देश्य" स्थापित करने के लिए। [आंध्र राज्य

प्रदेश बनाम। बोगम चंद्रैया और एक और, (1986) 3 एस. सी. सी.

637] .

45.2. 2 . जहाँ बरी होने के परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता होगीः

(क) जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से अलग करते हुए, साक्ष्य के पूर्ण विचार पर आधारित थे, [यू. पी. राज्य v. फेरू सिंह और अन्य, 1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 288] या ऐसी परिस्थितियों पर आधारित जो विशुद्ध रूप से कल्पना और कल्पना पर आधारित थीं [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। पुसू उर्फ राम किशोर, (1983) 3

एससीसी 502]।

(ख) जहाँ अभियुक्त को देरी के आधार पर बरी कर दिया गया था।

मुकदमा चलाना, जिसमें देरी अभियोजन एजेंसियों की विलंबता या उदासीनता के कारण नहीं थी, बल्कि स्वयं आरोपी के आचरण के कारण थी; या जहां आरोपी को किसी अपराध से संबंधित मुकदमा चलाने में देरी के आधार पर बरी कर दिया गया था, जो है -

तुच्छ प्रकृति का नहीं। [महाराष्ट्र राज्य बनाम। चंपालाल

पुंजाजी शाह (1981) 3 एस. सी. सी. 610]।

46. उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूरे विवादित फैसले को देखने के बाद, हम उसमें कोई संतोष दर्ज नहीं पाते हैं कि निचली अदालत के एनजी स्पष्ट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं या

अस्थिर रूप से अस्थिर। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, उच्च न्यायालय को, हमारी राय में, निचली अदालत द्वारा पारित एक सुविचारित निर्णय को रद्द करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। हम इसके बाद कारण बताएँगे कि उच्च न्यायालय को उनके द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के फैसले में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी।

न्यायिक अदालत।

प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट की स्वीकृति पारस्परिक प्रमाण

47. शरद बर्डीहिचंद ए बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 116, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 152. उच्च न्यायालय द्वारा निर्भर मामलों पर चर्चा करने से पहले

अदालत में हम प्रकृति पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे,

और इस न्यायालय का मूल निर्णय हनुमंत बनाम है। की स्थिति मध्य प्रदेश [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343: 1952 एससीआर 1091:

14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रि एलजे 129]। इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और

इस न्यायालय द्वारा बाद के कई फैसलों में लागू किया गया

उदाहरण के लिए, तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम के मामले। उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 55]

और रामगोपाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी 625:

ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656] न्यायमूर्ति महाजन ने हनुमंत मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343: में जो कुछ कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता हैः 1952 एस. सी. आर. 1091 1953 सी. आर. आई. एल. जे 129]:

यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होता है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अपराध का निष्कर्ष पहले निकाला जाना चाहिए

उदाहरण पूरी तरह से स्थापित किया जाए, और सभी तथ्य इस तरह से स्थापित किए जाएं

केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए

अभियुक्त का। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए

प्रत्येक परिकल्पना को बाहर करने के लिए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके।

और यह ऐसा होना चाहिए कि सभी मनुष्यों के भीतर

संभावना है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि

अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचने के लिए पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' हो सकती हैं

स्थापित किया गया। केवल एक व्याकरण नहीं है बल्कि एक कानूनी है

'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच का अंतर जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव में कहा था बोबडे वी. महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033: 1973 क्रि एल. जे. 1783] जहाँ निम्नलिखित

टिप्पणियाँ की गईं: [एससीसी पैरा 19, पी। 807 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को और न केवल अदालत द्वारा सुब्रमण्य बनाम को दोषी ठहराए जाने के समक्ष दोषी हो सकता है।

और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए

और प्रवृत्ति,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

जिसे साबित किया जाना है, और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि

निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ना

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य किया गया होगा

अभियुक्त द्वारा।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थिति पर आधारित मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

सबूत "।

48. टी. और जे. डब्ल्यू. जॉनसन एंड कंपनी द्वारा एम विल्स द्वारा परिवेशीय साक्ष्य के सिद्धांतों पर एक निबंध में। 1872 में, इसे निम्नानुसार जोड़ा गया है:

" प्रत्यक्ष गवाही के मामलों में, यदि रिलेटरों को विश्वास दिया जाता है, तो सुनने का कार्य और विश्वास का कार्य, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है, समकालीन प्रतीत होता है। लेकिन मामला बहुत

अलग जब हमें परिस्थिति पर निर्धारण करना होता है

साक्ष्य, जिसके संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से है

समान या समान परिस्थितियों में अवलोकन के परिणाम, कि हम अपनी सटीकता में विश्वास प्राप्त करते हैं

निष्कर्ष निकालते हैं। ? · प्रेज़म्प्टिव शब्द का उपयोग अक्सर पर्याय के रूप में किया जाता है।

CIRCUMSTANTIAL EVITENCE के साथ; लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है सख्त सटीकता, शब्द "अनुमान", एक्स vi टर्मिनि, तथ्यों से एक अनुमान का आयात करता है; और सहायक "अनुमानित", [2022] 14 एस. सी. आर. के रूप में।

साक्ष्य संबंधी तथ्यों पर लागू होने से तथ्यों और निष्कर्ष के बीच कुछ संबंध की निश्चितता का तात्पर्य है। आम तौर पर परिस्थितियाँ, लेकिन जरूरी नहीं, विशेष निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं; क्योंकि तथ्य निर्विवाद हो सकते हैं, और फिर भी उनसे उनका संबंध

मुख्य तथ्य केवल स्पष्ट हो सकता है, और वास्तविक नहीं हो सकता है; और जब संबंध वास्तविक हो, तब भी कटौती गलत हो सकती है। इसलिए, परिस्थितिजन्य और अनुमानित साक्ष्य अलग-अलग हैं।

वंश और प्रजातियाँ।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का बल और प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह तथ्य की सच्चाई के अलावा किसी अन्य अनुमान के साथ इसकी असंगतता, और स्पष्टीकरण या समाधान की असमर्थता पर निर्भर करता है, जिसे वह साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

रिडक्टियो एड एब्सर्डम द्वारा प्रदर्शन की विधि के समान।

49. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्तावों के आलोक में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले पर विचार करना चाहिए।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, निर्णय अनिवार्य रूप से अनुमानित रहता है। अनुमान स्थापित तथ्यों से लिया जाता है क्योंकि परिस्थितियाँ विशेष निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं। न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है, और जब उसमें परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो यह केवल इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही विचाराधीन अपराध का अपराधी है। इस तरह से स्थापित सभी परिस्थितियाँ

निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए, और केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

ऊपर विश्वास की गई परिस्थितियों का विश्लेषण

उच्च न्यायालय द्वारा

50. अभियोजन पक्ष का मामला है कि मूल आरोपी नंबर 3 सीताराम भट ने पीडब्लू के समक्ष एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी। 7 , एच. टी. योगेश (मृतक के दामाद)। पी. डब्ल्यू. 7 ने निचली अदालत द्वारा 21.01.2012 पर दर्ज अपनी जाँच में कहा हैः

" 1. मैं उन अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूँ जो अदालत के सामने उपस्थित हैं।

अदालत। मृत कमलम्मा मेरी सास हैं। सी. डब्ल्यू. 8 मेरी पत्नी है। पी. डब्ल्यू. 1 मेरी पत्नी की बहन है। C.W.12 पी. डब्ल्यू. 1 का पति है। सी. डब्ल्यू. 5 और 6 मृतक के भाई हैं। मैं अन्य गवाहों को जानता हूँ। हत्या के कारण 23.08.2010 पर मेरी सास की मृत्यु हो गई। सुब्रमण्य बनाम पर आलोक नाम से ए 2 गौरम्मा का पुत्र।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

24.08.2010 सुबह करीब साढ़े छह बजे आया और बताया कि मेरी सास कमलम्मा कल रात से नहीं मिली हैं। ए 2 मृतक के पति की पहली पत्नी की बेटी है।

कमलम्मा। मृतक हिरेकूडिगे गाँव के होसामने में रहता था। मृतक ए 2 के घर के बगल में रहता था।

मृतक वहाँ अकेले रहते थे और ए 2 और उनके बच्चे

मृतक के घर के किनारे रहता था। ए 2 के पति नहीं रहे। हम भी आ गए। सभी को यह बताकर कि हम अपनी सास कमलम्मा को ढूंढ रहे थे। जैसा कि हम लगभग 1 बजे पता नहीं लगा सके। मैं पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी दर्ज कराई

शिकायत करें। मुझे अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

गुमशुदगी की शिकायत देने के बाद भी कानून।

2. 09.12.2010 पर मैं गदिकलू गया था। गादीकल्लू सर्कल में रात करीब साढ़े नौ बजे ए 3 सीताराम भट मुझसे मिले और वहां उन्होंने बताया कि लगभग साढ़े तीन महीने पहले उन्हें अल ने बुलाया था और बताया था कि उन्होंने कमलम्मा की हत्या कर दी है और शव को दफनाने के लिए ब्रांडी की दो बोतलें देकर उनकी मदद मांगी थी और उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह नहीं मानेगा तो वह उसे भी मार देगा जैसा कि उसके बहनोई श्रीनिवास गौड़ा के साथ किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शव को दिनमणि की भूमि के पास धरे ले जाने में उनकी मदद की और वहां उन्होंने शव को दफनाया।

3. मृत कमलम्मा बताती थी कि ए 2 के अवैध संबंध हैं और वे उसे पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह सभी को बता रही है। 4. इसके बाद मैं 10.12.2010 पर पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। अब मैं उक्त शिकायत देखता हूँ। अब इसे एक्स. पी.-11 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-11 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं।

5. अगले दिन जब पुलिस और सहायक आयुक्त मौके पर आए तो मुझे भी वहां बुलाया गया। सी. डब्ल्यू. 2 से 4 तक को भी बुलाया गया। वहाँ ए 1 और ए 3 ने हमें वह स्थान दिखाया जहाँ उन्होंने कमलम्मा के शव को दफनाया था और पुलिस और सहायक आयुक्त को भी। इसके बाद पी. डब्ल्यू. 3 की मदद से कमलम्मा के शव को बाहर निकाला गया। शव को सरकार के सर्वेक्षण No.121 में दफनाया गया था। होराबिलु में एक चैनल के किनारे भूमि। जब शव को बाहर निकाला गया तो यह पूरी तरह से था

विघटित। शरीर पर एक पेटीकोट, एक ब्लाउज था। वहाँ सहायक आयुक्त निकाय [2022] 14 एस. सी. आर. खींचते हैं।

मजार को बाहर निकाला। अब मैं वही देख रहा हूँ। यह पहले से ही एक्स. पी.-3 के रूप में चिह्नित है। उदा. पी-3 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। उस समय तस्वीरें भी खींची गई थीं। अब तीनों तस्वीरों को एक्स पी-4 के रूप में चिह्नित किया गया है। मेरे अलावा सी. डब्ल्यू. एस. 2 से 4 और पी. डब्ल्यू. 3 भी

हस्ताक्षर किए।

6. आई. डी. 1 पर फिर से पुलिस ने मुझे दोपहर करीब 2 बजे फोन किया।

पुलिस स्टेशन। उक्त पुलिस थाने में अल भी था

उपस्थित हैं। पुलिस C.W.24 मीरानथ को लाई और उसने उसे पेश किया। एक मोबाइल। उक्त मोबाइल मृतक कमलम्मा का था। इसे C.W.22 और 23 की उपस्थिति में एक मजार खींचकर जब्त कर लिया गया था। अब मैं वही देख रहा हूँ। अब इसे एक्स. पी.-12 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-12 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। उस समय फोटो भी खींची गई थी। अब उक्त तस्वीर को एक्स. पी. के रूप में चिह्नित किया गया है।

13. अगर मुझे दिखाया जाए तो मैं मोबाइल को पहचान सकता हूं। इसे पहले से ही एम. ओ. 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। मुझे अपनी सास का सेल नंबर याद नहीं है। उन्होंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है।

7. मेरी सास गणपति लटकन के साथ एक चेन पहनती थी जिसे पहले से ही एम. ओ. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है, बीच में नीले पत्थर के साथ ओले की एक जोड़ी जो सफेद पत्थरों से घिरी हुई है।

पहले से ही एम. ओ. 2 के रूप में चिह्नित है, लाल पत्थर के साथ एक सोने की अंगूठी जिसे पहले से ही एम. ओ. 3 के रूप में चिह्नित किया गया है। मैं मृतक के शरीर पर पाए गए ब्लाउज और पेटीकोट की पहचान कर सकता हूं। (अब अभियुक्त के विद्वान वकील को एक सीलबंद लिफाफा दिखाया जाता है। मुहरें अक्षत पाई जाती हैं। उन्हें इसे खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। वही अब खोला गया है)। इसमें एक ब्लाउज और एक पेटीकोट होता है। गवाह उसी की पहचान करता है। वैसा ही।

अब इन्हें M.O.11 और 12 "के रूप में चिह्नित किया गया है।

51. हमें पीडब्लू 7 की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विचार है कि मुख्य परीक्षा का सादा अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि अतिरिक्त न्यायिक

अभिनिवेश पर दोषारोपण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था मेसटेन्स।

52. कथित अपराध की तारीख 23.08.2010 है। तथाकथित न्यायिक स्वीकारोक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीताराम भट द्वारा की गई थी

सेड नंबर 3) दिनांकित 09.12.2010 है। हम यह समझने में विफल हैं कि लगभग चार महीने की अवधि के बाद एक एन सीताराम (अभियुक्त संख्या 3), कथित अपराध में खुद को और अपीलार्थी को शामिल करते हुए पीडब्लू 7 एच. टी. एस. के समक्ष एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए क्यों उपयुक्त है।

53. एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति होगी

इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसे यह दिया गया है। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो देता है

सबूत। यह किसी भी अदालत के लिए इस धारणा के साथ शुरू करने के लिए खुला नहीं है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कब स्वीकारोक्ति की गई थी और इस तरह के स्वीकारोक्ति की बात करने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। इस तरह के कबूलनामे पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि कबूलनामे के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, यहां तक कि अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो संकेत दे सकता है कि उसका उद्देश्य असत्य को जिम्मेदार ठहराना हो सकता है।

अभियुक्त के लिए बयान, गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि अभियुक्त अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति हो सकती है

स्वीकार किया जाता है और विश्वास का आधार हो सकता है यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है।

54. अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और इसकी पुष्टि की जाती है

अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा। इसे साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा माना जाता है क्योंकि जब भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने के लिए, यह स्वैच्छिक होना चाहिए और आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए। यदि अदालत संतुष्ट है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है, तो इसे दोषसिद्धि के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

55. सहदेवन और अन्य v में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए। तमिलनाडु राज्य, (2012) 6 एस. सी. सी. 403, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 15.1 . बलविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 259: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 59] इस न्यायालय ने सिद्धांत कहा

कि - (एस. सी. सी पी. 265, पैरा 10)

" 10. अपने स्वभाव से एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए प्रशंसा [2022] की आवश्यकता होती है।

बहुत सावधानी और सावधानी के साथ। जहाँ एक अतिरिक्त

न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध से घिरी हुई है

परिस्थितियों में, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह खो जाती है

इसका महत्व।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

15.4 . सिद्धांतों के आयामों की व्याख्या करते हुए

एक अतिरिक्त की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करना

न्यायिक स्वीकारोक्ति, राजस्थान राज्य बनाम में यह न्यायालय। राजा।

राम [(2003) 8 एससीसी 180: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1965] ने कहा कि

सिद्धांत किः (एस. सी. सी पी. 192, पैरा 19)

" 19. एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सच है

और मन की एक उपयुक्त स्थिति में बनाया गया, इस पर भरोसा किया जा सकता है

अदालत। स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य की तरह साबित करना होगा।

तथ्य। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, किसी भी तरह से

अन्य साक्ष्य, गवाह की सच्चाई पर निर्भर करता है

जिसे यह बनाया गया है "।

न्यायालय ने आगे यह विचार व्यक्त किया किः (एस. सी. सी पी. 192 , पैरा

19)

" 19. ..... इस तरह के कबूलनामे पर भरोसा किया जा सकता है और विश्वास किया जा सकता है

उस पर स्थापित किया जा सकता है यदि स्वीकारोक्ति के बारे में सबूत

गवाहों के मुँह से आता है जो प्रतीत होते हैं

निष्पक्ष, अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं, और

यह इंगित करने के लिए कि उसका एक श्रेय देने का उद्देश्य हो सकता है अभियुक्त को झूठा बयान।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

15.6 . अतिरिक्त-न्यायिक की स्वीकार्यता को स्वीकार करना

राजस्थान [(2010) 10 एससीसी 604: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 79] कि - (एस. सी. सी पी. 611 , पैरा 29-30)

" 29. कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति

कभी भी दृढ़ विश्वास का आधार नहीं हो सकता है, हालांकि आम तौर पर

एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि कुछ लोगों द्वारा की जानी चाहिए

अन्य सामग्री। [वीडियो थिम्मा और थिम्मा राजू बनाम। की स्थिति

मैसूर [(1970) 2 एस. सी. सी. 105: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 320], मुल्क

राज वी. यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 902 1959 सी. आर. आई. एल. जे. सुब्रमण्य बनाम।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

1219] , शिवकुमार बनाम. राज्य [(2006) 1 एससीसी 714: (2006) 1 एससीसी

(क्रि) 470] (एस. सी. सी. पैरा 40 और 41: आकाशवाणी पैरा 41 और

से

42) , शिव करम पायस्वामी तिवारी बनाम। राज्य

महाराष्ट्र [(2009) 11 एससीसी 262: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1320]

और मोहम्मद। आजाद बनाम। डब्ल्यू. बी. की स्थिति [(2008) 15 एससीसी 449: (2009)

3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1082]

[जोर दिया गया]

56. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि स्वैच्छिक आधार पर हो सकती है

स्वीकारोक्ति लेकिन विवेक के नियम के लिए आवश्यक है कि जहां भी संभव हो, स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अभियुक्त के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की सभी मामलों में पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। मदन गोपाल कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और अन्य, (1992) 3 एस. सी. सी. 204, यह न्यायालय प्यारा सिंह और अन्य बनाम का उल्लेख करने के बाद। पंजाब राज्य, (1977) 4 एस. सी. सी. 452 ने अभिनिर्धारित किया कि कानून के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए। विवेक के नियम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकारोक्ति में उल्लिखित प्रत्येक परिस्थिति की अलग से और स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।

57. उपरोक्त का योग और सार यह है कि एक अतिरिक्त

न्यायिक स्वीकारोक्ति अपनी प्रकृति से एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रशंसा की आवश्यकता होती है। जहाँ एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह हाथ में मामले की तरह अपना महत्व खो देती है। अदालतें आम तौर पर एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर कोई भरोसा रखने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करती हैं।

58. कश्मीरा सिंह बनाम में यह न्यायालय। मध्य राज्य

ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 159 में रिपोर्ट किए गए प्रदेश ने निम्नानुसार अवलोकन किया थाः

" अभियुक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति में सबूत नहीं है

धारा 3 में परिभाषित शब्द का सामान्य अर्थ। यह नहीं हो सकता।

एक दृढ़ विश्वास की नींव बनाई जाए और केवल इसका उपयोग किया जा सकता है

अन्य सबूतों के समर्थन में। सही तरीका है, सबसे पहले, अभियुक्त के खिलाफ मार्शल सबूत को छोड़कर

विचार से पूरी तरह से स्वीकारोक्ति और देखें कि क्या, यदि

ऐसा माना जाता है कि एक दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से इसके आधार पर हो सकती है। अगर ऐसा है तो

स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने में सक्षम, फिर

बेशक मदद में स्वीकारोक्ति को बुलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन

ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां न्यायाधीश इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है

अन्य सबूत जैसा कि यह खड़ा है, अगर माना जाए, तो यह [2022] 14 एस. सी. आर. होगा।

दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। इस तरह की स्थिति में

न्यायाधीश स्वीकारोक्ति को सहायता के लिए बुला सकते हैं और इसका उपयोग ऋण देने के लिए कर सकते हैं।

अन्य साक्ष्य को आश्वासन देना और इस प्रकार खुद को मजबूत करना।

यह मानते हुए कि स्वीकारोक्ति की सहायता के बिना वह क्या नहीं करेगा स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। [पैरा 8,10] "

59. हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय ने एक गंभीर गलती की

इकबालिया बयान को आधार बनाने में और उसके बाद पुष्टि की तलाश में जाना। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इकबालिया बयान की भौतिक विवरणों में पुष्टि की गई है, जिसमें अपीलार्थी दोषी के खिलाफ साक्ष्य पर पहले विचार किए बिना और दोषसिद्धि को पूरी तरह से विचार से बाहर रखा गया है। जैसा कि ऊपर दिए गए निर्णय में कहा गया है, केवल तभी जब उपलब्ध साक्ष्य पर इस तरह के विचार पर, स्वीकारोक्ति के अलावा एक दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से आधारित हो सकती है, तभी उस विश्वास या निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

60. निचली अदालत ने स्वीकार नहीं करने के लिए ठोस कारण बताए हैं

पीडब्लू 7 के साक्ष्य, जिनके समक्ष कथित रूप से स्वीकारोक्ति की गई है, और ठीक ही है, उच्च न्यायालय ने कोई ठोस कारण नहीं दिए हैं कि पीडब्लू 7, जिसे निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए।

61. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अनुभाग पर भरोसा किया

30 साक्ष्य अधिनियम की इस दलील को सही ठहराने के लिए कि मूल अभियुक्त सं. 3 सीताराम भट द्वारा कथित रूप से किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपीलार्थी दोषी के खिलाफ स्वीकार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान स्वीकार्य होगा, लेकिन सवाल केवल स्वीकार्यता या धारा 25 के तहत प्रतिबंध की अनुपस्थिति का नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, वास्तविक प्रश्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 की उचित व्याख्या से संबंधित है।

62. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को नीचे कुल मिलाकर उद्धृत किया गया है:

" 30. व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सिद्ध स्वीकारोक्ति पर विचार करना

एक ही अपराध के लिए इसे और अन्य लोगों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाना।

▬▬

जब एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो
एक ही अपराध, और ऐसे व्यक्तियों में से एक द्वारा की गई स्वीकारोक्ति
स्वयं को और ऐसे कुछ अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना साबित होता है,
न्यायालय इस तरह के स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है जैसे कि
ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ-साथ उस व्यक्ति के खिलाफ जो
इस तरह की स्वीकारोक्ति करता है।

[व्याख्याः - " अपराध ", जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, में अपराध को कम करना या करने का प्रयास शामिल है।] "

63. यह तर्क दिया गया था कि सह-अभियुक्त का यह स्वीकारोक्ति, भले ही साबित हो जाए, दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है और हालांकि यह सामान्य अर्थों में सबूत है, फिर भी यह विशिष्ट अर्थों में सबूत नहीं है और यह अन्य सबूतों की पुष्टि कर सकता है और सहायक नहीं हो सकता है। दोषसिद्धि का बिंदु या एकमात्र आधार। इस संबंध में, हरिचरण कुर्मी और जोगिया हाजम बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। बिहार राज्य, जैसा कि ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184 में बताया गया है, और साथ ही इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय को भी राम चंद्र और अन्य बनाम में रिपोर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान पर केवल विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं था। प्रिवी काउंसिल ने यह भी माना कि एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कमजोर प्रकार का प्रमाण था और यह धारा 3 में निहित साक्ष्य की परिभाषा के भीतर नहीं आता था।

64. इन निर्णयों के पीछे के तथ्यों का होना आवश्यक है

सर्वोच्च न्यायालय और प्रिवी काउंसिल। हम कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं।

65. भुवनी साहू बनाम के मामले में। राजा ने ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257 में बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए सत्र न्यायाधीश के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। हालाँकि, प्रिवी काउंसिल ने महामहिम को सलाह दी कि अपील की अनुमति दी जाए और इस तरह की सलाह के कारण बताते हुए निर्णय दर्ज किया गया। अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य में शामिल थे -

(क) हत्या में भाग लेने वाले और सरकारी गवाह बनने वाले खोल्ली बेहरा का साक्ष्य, (ख) आई. पी. आर. की धारा 164 के तहत दर्ज त्रिनाथ का इकबालिया बयान। पी. सी. जिसने खुद को और अपीलार्थी दोनों को हत्या में फंसाया, और (सी) एक कमर के कपड़े की बरामदगी जिसकी पहचान मृतक ने उस समय पहनी थी जब उस पर हमला किया गया था और

घास काटने के लिए उपकरण। तत्काल मामले के उद्देश्य के लिए, बिंदु (बी) में साक्ष्य प्रासंगिक है। प्रिवी काउंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का हवाला दिया और फैसले के पैराग्राफ 9 में फैसला सुनाया (जैसा बताया गया है) कि धारा 30 को पहली बार 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पेश किया गया था और यह इंग्लैंड के सामान्य कानून से अलग था। यह देखा गया कि यह धारा 30 स्वीकारोक्ति पर लागू होती है न कि उन बयानों पर जो स्वीकारोक्ति करने वाले पक्ष के अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। यह माना गया कि त्रिनाथ का बयान एक स्वीकारोक्ति थी। उनके अधिपतियों ने आगे कहा कि धारा 30 इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होती है कि एक प्रवेश [2022] 14 एस. सी. आर.

एक अभियुक्त व्यक्ति का अपने स्वयं के अपराध के लिए दूसरों के साथ-साथ खुद के खिलाफ अपने इकबालिया बयान की सच्चाई के समर्थन में किसी प्रकार की मंजूरी प्रदान करता है। लेकिन एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति, जिसका उनके अधिपतियों ने पालन करना जारी रखा, स्पष्ट रूप से एक कमजोर प्रकार का प्रमाण था। यह वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित 'साक्ष्य' की परिभाषा के भीतर नहीं आया था। इस तरह के बयान को शपथ पर देने की आवश्यकता नहीं थी और न ही आरोपी की उपस्थिति में और इसका परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता था। यह एक अनुमोदक के साक्ष्य की तुलना में बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य था जो

उनमें से किसी भी दुर्बलता के अधीन नहीं था। हालाँकि, धारा 30 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह ऐसा साक्ष्य देता है जिस पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, लेकिन धारा में यह नहीं कहा गया कि स्वीकारोक्ति सबूत के बराबर है। स्पष्ट रूप से, अन्य सबूत होने चाहिए और मामले में साबित हुए सभी तथ्यों पर विचार करने में स्वीकारोक्ति केवल एक तत्व था, जिसे पैमाने में रखा जा सकता है और अन्य सबूतों के साथ तौला जा सकता है। उनके प्रभुत्व की पुष्टि हुई यह विचार कि सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल समर्थन में किया जा सकता है

साक्ष्य और एक दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सका।

66. इस न्यायालय के समक्ष रामचंद्र (उपरोक्त) का मामला, जैसा कि ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381 में बताया गया है, हत्या का भी था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कॉर्पस डेलेक्टी का पता नहीं चल सका था और हत्या का सबूत पूरी तरह से एक आरोपी के वापस लिए गए कबूलनामे पर निर्भर था। अदालत का विचार था कि हालांकि कार्पस डेलेक्टी नहीं पाया गया था, फिर भी एक दोषसिद्धि हो सकती है

यदि हत्या किए जाने का विश्वसनीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, उपलब्ध था। लेकिन, एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं था। निचली अदालतों ने एक सह-आरोपी रामभरोसे के खिलाफ आरोपी रामचंद्र के इकबालिया बयान पर भरोसा किया था, जिसमें उसे उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों का दोषी ठहराया गया था। इस न्यायालय ने कहा, "यह उचित रूप से आग्रह किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति पर केवल विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में ठोस साक्ष्य नहीं है।" हालाँकि, यह न्यायालय संतुष्ट था कि स्वीकारोक्ति को ठोस साक्ष्य के रूप में छोड़कर भी पर्याप्त था

अपीलार्थी रामभरोसे के खिलाफ आरोप लगाए गए अपराधों को करने के लिए आपराधिक साजिश के अपराध का दोषी ठहराने के लिए सामग्री। इस अनुपात पर आते हुए हम पाते हैं कि इस विचार की पुष्टि की गई थी कि सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति पर केवल विचार किया जा सकता है, लेकिन उस पर ठोस साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

67. हरिचरण कुर्मी (ऊपर) का मामला फिर से पटना उच्च न्यायालय से था। यहाँ भी एक सवाल उठा कि एक सह-अभियुक्त के खिलाफ एक अभियुक्त के कबूलनामे के संभावित मूल्य के बारे में। इस न्यायालय ने सुब्रमण्य बनाम पर विचार किया।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

साक्ष्य अधिनियम और धारा में धारा 3 में परिभाषा खंड के साथ

30 इसके साथ-साथ इस न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णय भी। फैसले के पैराग्राफ 15 में यह देखा गया, जैसा कि बताया गया है, "यह सच है कि राम सूरत द्वारा किया गया इकबालिया बयान एक विस्तृत बयान है और यह दो अपीलार्थियों को अपराध करने में एक प्रमुख हिस्सा बताता है। यह भी सच है कि उक्त स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक पाई गई है, और जहाँ तक स्वयं राम सूरत द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, वह सच है, और इसलिए, यह संभावना नहीं है कि दोनों अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में इकबालिया बयान भी सच हो सकता है; और उस अर्थ में, उक्त स्वीकारोक्ति को प्रस्तुत करने से गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। अभियुक्त पर संदेह। लेकिन ऐसे मामलों में ही सही कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और संदेह, हालांकि, गंभीर, को सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत रहा है

आधी सदी से अधिक समय से इस देश में आपराधिक कानून का प्रशासन

कि सह-अभियुक्त व्यक्ति के स्वीकारोक्ति को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे केवल तभी सेवा में लगाया जा सकता है जब न्यायालय अन्य साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो और उक्त साक्ष्य से अपने निष्कर्ष के समर्थन में आश्वासन मांगने की आवश्यकता महसूस करे। आपराधिक मुकदमे में आवेदन करने की कोई गुंजाइश नहीं है

नैतिक विश्वास या गंभीर संदेह का सिद्धांत। आपराधिक मामलों में जहां एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पूरी तरह से असंतोषजनक है और अभियोजन पक्ष एक सह-अभियुक्त व्यक्ति के कबूलनामे पर भरोसा करना चाहता है, निर्दोषता का अनुमान जो आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार है, अभियुक्त व्यक्ति की सहायता करता है और अदालत को यह निर्णय देने के लिए मजबूर करता है कि आरोप

उसके खिलाफ साबित नहीं होता है, और इसलिए, वह संदेह के लाभ का हकदार है। इन अपीलों में ठीक यही हुआ है। 68. यह मामला टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयानों में से एक नहीं है। धारा 15 की उप-धारा (1) की भाषा में, एक अभियुक्त के इकबालिया बयान को उन सभी लोगों के खिलाफ स्वीकार्य सबूत बनाया जाता है जिन पर उसके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है। इसलिए, यह निहित है कि उन सभी के खिलाफ एक साथ प्रयास किया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोपित सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के खिलाफ आरोपी के इकबालिया बयान पर विचार करने के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कानून में स्वीकृत सिद्धांत यह है कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज एक आरोपी का इकबालिया बयान एक ठोस सबूत है।

उसके सह-अभियुक्त के खिलाफ, बशर्ते कि संबंधित अभियुक्त पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बीच का अच्छा अंतर है

टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज साक्ष्य और स्वीकारोक्ति को एक ठोस साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है।

अपराध के हथियार, कपड़ों की खोज और मृत शरीर

69. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पंचनामा बनाकर अपीलार्थी के कहने पर उसके कपड़ों की खोज को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 5 टी. सोमैया के साक्ष्य पर भरोसा किया है। पी. डब्ल्यू. 5 ने अपनी जाँच-इन-चीफ में पदच्युत किया है

इसके अंतर्गतः

" 1. मैं उन अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूँ जो अदालत के सामने उपस्थित हैं।

अदालत। मुझे पता है C.W.19। लगभग एक साल पहले मुझे और C.W.19 को पुलिस ने बुलाया था, उस समय ए 1 सुब्रमण्य भी वहाँ थे। वहाँ से अल हमें कमलम्मा के घर के पास ले गया। कमलम्मा के घर के बगल में ए 2 का घर है। पुलिस ने मुझे बताया कि अल कपड़े देने जा रहा है, हमें वहाँ होना है। जिस स्थान पर जलाऊ लकड़ी रखी गई है, उस स्थान से कमलम्मा के घर के किनारे अल ने एक पैंट और एक शर्ट निकाली और पुलिस के सामने पेश की और उसके बाद एक मजार खींचकर उसे जब्त कर लिया गया। अब मैं उक्त मजार को देखता हूँ। अब इसे एक्स. पी.-6 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-6 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त मजार सुबह 9:30 बजे के बीच खींची गई थी।

10.30 ए. एम. (अब अभियुक्त के विद्वान वकील को दो आवरण दिखाए जाते हैं। उन्हें इसे खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। वही अब खोले गए हैं)। इनमें लाल रंग की कमीज होती है और

सीमेंट रंग का पैंट। इन्हें अब क्रमशः एम. ओ. 7 और 8 के रूप में चिह्नित किया गया है। जब्त करने के समय एम. ओ. 7 और 8 फोटो भी लिए जाते हैं। अब मैं वही देख रहा हूँ। वही अब के रूप में चिह्नित किया गया है

Ex. P-7 "।

70. अपराध के हथियार की खोज को साबित करने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी दोषी के कहने पर मुख्य परीक्षा पर भरोसा किया है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 6 श्रीधर शेट्टी के साक्ष्य पर भरोसा किया है। श्रीधर शेट्टी ने अपनी जाँच-पड़ताल में निम्नानुसार बयान दिया हैः

" 1. मैं उन अभियुक्त व्यक्तियों को जानता हूँ जो अदालत के सामने उपस्थित हैं।

अदालत। मुझे पता है C.W.21। 14.12.2010 पर मुझे और C.W.21 को C.W.42 द्वारा कॉल किया गया था। उस समय ए 1 और ए 3 और सुब्रमण्य बनाम के अध्यक्ष।

पंचायत और कई अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अल और ए 3 ने हमें दिनामानी की संपत्ति के बगल में सरकारी भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित किया और वहाँ उन्होंने बताया कि वे उस क्लब का निर्माण करने जा रहे हैं जिसका उपयोग अपराध करने के उद्देश्य से किया गया है और जिसे एक झाड़ी में रखा गया है।

इसके बाद अल ने झाड़ी से एक क्लब निकाला और उत्पादन किया।

पुलिस के सामने। अब मैं उक्त क्लब को देखता हूं जो कोर्ट के सामने है। अब इसे एम. ओ. 9 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद ए 3 भी झाड़ी के किनारे चला गया और वहाँ से उसने एक कुदाल बनाया। अब मैं उक्त कुदाल को देखता हूँ। अब इसे M.O.10 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद एम. ओ. 9 और 10 को एक मजार खींचकर जब्त कर लिया गया। अब मैं उक्त मजार को देखता हूँ। अब इसे एक्स. पी.-8 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-8 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त मजार को ड्राइंग के समय सुबह 11 बजे से 11.30 बजे के बीच खींचा गया था। उक्त कार्यवाही की तस्वीरें भी ली गईं। अब उक्त दो तस्वीरों को एक्स. पी.-9 और पी.-10 के रूप में चिह्नित किया गया है।

71. इसमें अपीलार्थी और बरी किए गए अभियुक्त (ए-2) के कहने पर मृत व्यक्ति के शव की खोज को साबित करने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 7 योगेश के साक्ष्य पर भरोसा किया है। पीडब्लू 7 एच. टी. योगेश ने अपनी जाँच में पदच्युत किया हैः

" 5. अगले दिन जब पुलिस और सहायक आयुक्त मौके पर आए तो मुझे भी वहां बुलाया गया। सी. डब्ल्यू. 2 से 4 तक को भी बुलाया गया। वहाँ ए 1 और ए 3 ने हमें वह स्थान दिखाया जहाँ उन्होंने कमलम्मा के शव को दफनाया था और पुलिस और सहायक आयुक्त को भी। इसके बाद पी. डब्ल्यू. 3 की मदद से कमलम्मा के शव को बाहर निकाला गया। शव को सरकार के सर्वेक्षण No.121 में दफनाया गया था। एक चैनल के किनारे पर भूमि

होराबिलु। जब शव को बाहर निकाला गया तो यह पूरी तरह से था

विघटित। शरीर पर एक पेटीकोट, एक ब्लाउज था। वहाँ सहायक आयुक्त शव खींचते हैं।

मजार को बाहर निकाला। अब मैं वही देख रहा हूँ। यह पहले से ही एक्स. पी.-3 के रूप में चिह्नित है। उदा. पी-3 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। उस समय तस्वीरें भी खींची गई थीं। अब तीन तस्वीरें हैं

पूर्व पी-4 के रूप में चिह्नित। मेरे अलावा सी. डब्ल्यू. एस. 2 से 4 और पी. डब्ल्यू. 3 भी

हस्ताक्षर किए।

6. आई. डी. 1 पर फिर से पुलिस ने मुझे दोपहर करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन बुलाया। उक्त पुलिस थाने में अल भी [2022] 14 एस. सी. आर. था।

उपस्थित हैं। पुलिस C.W.24 मीरानथ को लाई और उसने उसे पेश किया।

एक मोबाइल। उक्त मोबाइल मृतक कमलम्मा का था। उसी को C.W.22 और 23 की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था

एक मजार आरेखित करें। अब मैं वही देख रहा हूँ। अब इसे एक्स. पी.-12 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-12 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। उस समय फोटो भी खींची गई थी। अब उक्त तस्वीर को एक्स. पी. के रूप में चिह्नित किया गया है।

13. अगर मुझे दिखाया जाए तो मैं मोबाइल को पहचान सकता हूं। इसे पहले से ही एम. ओ. 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। मुझे अपना सेल नंबर याद नहीं है।

सास-सास। उन्होंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है।

7. मेरी सास गणपति के साथ चेन पहनती थीं।

लटकन जो पहले से ही एम. ओ. 1 के रूप में चिह्नित है, ओले की एक जोड़ी

बीच में नीले पत्थर के साथ जो सफेद पत्थरों से घिरा हुआ है

पहले से ही एम. ओ. 2 के रूप में चिह्नित है, लाल पत्थर के साथ एक सोने की अंगूठी

जिसे पहले से ही एम. ओ. 3 के रूप में चिह्नित किया गया है। मैं मृतक के शरीर पर पाए गए ब्लाउज और पेटीकोट की पहचान कर सकता हूं। (अब अभियुक्त के विद्वान वकील को एक सीलबंद लिफाफा दिखाया जाता है। मुहरें अक्षत पाई जाती हैं। उन्हें इसे खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। वही अब खोला गया है)। इसमें एक ब्लाउज और एक पेटीकोट होता है। गवाह उसी की पहचान करता है। वैसा ही।

अब इन्हें M.O.11 और 12 "के रूप में चिह्नित किया गया है।

72. पीडब्लू 8 एच. एम. रविकांत ने भी पंच गवाहों में से एक के रूप में अपनी जाँच में मुख्य रूप से प्रस्तुत कियाः

" 2. 11.12.2010 को सुबह लगभग 10 बजे। सी. पी. आई. ने मुझे फोन किया, सी. डब्ल्यू. 2 और 3। उस समय सहायक आयुक्त भी मौजूद थे।

और ए 1 सुब्रमण्यम और ए 3 सीताराम भट भी थे।

उपस्थित हैं। गदिकलू पुलिस अधिकारियों से, ए. सी., ए 1 और ए 3

हम मेरे और सी. डब्ल्यू. 2 और 3 के साथ उस स्थान पर गए जहाँ शव दफनाया गया है। अल हमें उक्त स्थान पर ले गया जहाँ उन्होंने शव को दफनाया था। उस स्थान को दिखाने के बाद जहाँ उन्होंने पी. डब्ल्यू. 3 और ए 1 और ए 3 की मदद से अल द्वारा मृतक के शव को दफनाया था, शव को बाहर निकाला गया और

वहाँ हम देखा कि यह कमलम्मा का मृत शरीर है। उक्त शव पूरी तरह से सड़ चुका था और एक ब्लाउज और एक पेटीकोट था।

मृत शरीर पर पाया गया। शव को बाहर निकालने के लिए ए

मजार को एक्स. पी.-3 के अनुसार खींचा गया था। उदा. पी-3 (सी) मेरे हस्ताक्षर हैं। वहाँ कार्यवाही के बारे में तस्वीरें भी ली गईं।

उक्त तस्वीरों को पहले ही एक्स. पी.-4 के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। अब उक्त सी. डी.

M.O.13 के रूप में चिह्नित किया गया है।

3. इसके बाद पूछताछ के लिए मजार भी तैयार किया गया।

मृतक का शव। अब मैं उक्त मजार को देखता हूँ। अब इसे एक्स. पी.-14 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-14 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। ड्राइंग के समय एक्स. पी.-14 सी. डब्ल्यू. 2 और 3 भी मौजूद थे।

4. इसके बाद अल हमें मृतक कमलम्मा के घर ले गया।

और हमें पीछे के दरवाजे पर ले गया और 3 से 4 फीट की दूरी पर उसने वह जगह दिखाई जहाँ उसने मृतक की हत्या की है।

कमलम्मा पर हमला करके। इसके बाद अल हमें वहाँ ले गया।

5 से 6 फुट की दूरी पर चराया और वहाँ से वह

एक क्लब बनाया। अब मैं उक्त क्लब को देखता हूँ। क्लब चिह्नित है

जैसे M.O.14। इसके बाद आरोपी ने बताया कि उसने

तीर्थहल्ली कुप्पल्ली बस स्टैंड में मृतक की छतरी बस आश्रय के ऊपर। इसके बाद अल हमें पुलिस की जीप में ले गया।

कुप्पल्ली और वहाँ बस स्टॉप ए 1 के पास जाने के बाद जीप को रोकने के लिए कहा। जीप से उतरने के बाद अल ने जाकर आश्रय की छत पर रखी छतरी निकाली और उसे उतार दिया। अब मुझे उक्त छतरी दिखाई देती है। उक्त छतरी है

क्लब और छतरी का सामना गवाह से किया जाता है। वह स्वीकार करता है। उसके हस्ताक्षर। अब इसे एक्स. पी.-15 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-15 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त मजार 2 से खींचा गया है।

शाम 4 बजे से शाम 4 बजे तक उस समय ए 3 भी मौजूद था। अल कौन है

अदालत के समक्ष उपस्थित वही व्यक्ति है जिसने हमारा नेतृत्व किया और उत्पादित एम. 0.14 और 15 और ए 1 और ए 3 ने स्थान दिखाया

जहाँ शव को दफनाया गया है। महाजर के समय में

तस्वीरें भी खींची गई हैं। उक्त पाँच तस्वीरें हैं -

एक्स. पी.-16 "के रूप में चिह्नित।

73. पी. डब्ल्यू. 9 सोमशेखर (ज्वैलर) ने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में कहाः

" 1. मैं अल को तब जानता हूँ जब वह मेरी दुकान पर सोना बेचने आया था। मैं हूँ।

सड़क पर रिप्पनपेट में एक आभूषण काम करता है जो

तीर्थहल्ली की ओर ले जाता है। पुलिस अल के साथ आई।

13.12.2010 शाम करीब 7 बजे पुलिस ए 1, C.W.15/के साथ गुरुराज भी वहाँ थे। मैंने पुलिस को बताया कि अल आ गया है।

और अपनी दुकान में सोना बेच दिया। पुलिस के ए 1 के साथ मेरी दुकान पर आने से साढ़े तीन महीने पहले मैंने ए. एल. से सोना ले लिया था। अल ने गणपति लटकन के साथ एक सोने की चेन, एक जोड़ी बेची

ओले के बीच में नीला पत्थर है जो सफेद [2022] 14 एस. सी. आर से घिरा हुआ है।

लाल पत्थर के साथ पत्थर और एक सोने की अंगूठी। अल ने बिक्री करते हुए कहा

कि उक्त सोने की वस्तुएँ उसकी हैं, जैसा कि उसके पास है

परिवार में वित्तीय कठिनाइयाँ हैं और वह भी बढ़ रहा है

एक घर, इस कारण से वह वही बेच रहा है। मैंने भुगतान किया। Rs.27,500/- अभियुक्त को खरीदने के लिए। पुलिस ने मुझसे उक्त वस्तुओं को वापस करने के लिए कहा। तदनुसार मैं लौट आया और

पुलिस ने उन्हें भी जब्त कर लिया। C.W.15 ने सोने का मूल्यांकन किया

लेख और उसके बाद उन्हें प्रमाणित किया। उस समय जब

सोने की वस्तुएँ जब्त की गईं जिनका मूल्य Rs.47,000/- था। अब मैं उक्त मजार को देखता हूँ। इसे पहले से ही एक्स. पी.-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उदा. पी-1 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने स्वयं, C.W.13, C.W.15 और P. W. 2 ने Ex. P-1 पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त मजार शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक खींची गई है। मैं उन सोने की वस्तुओं की पहचान कर सकता हूं जो

एक्स. पी.-1 के तहत जब्त किए गए हैं। वे पहले से ही एम. ओ. के रूप में चिह्नित। 1 से 3 तक। एम. ओ. को जब्त करने के समय 1 से 3

पुलिस ने तस्वीरें भी खींची। वही पहले से ही चिह्नित हैं

Ex. P-2 "के रूप में।

74. पीडब्लू 10 रवि शेट्टी (पंच गवाहों में से एक) ने अपनी जाँच-पड़ताल में निम्नलिखित बयान दिया हैः

" 2. मुझे 14.12.2010 पर, C.W.23 और 24 को बुलाया गया था

लगभग 1:30 बजे पी. डब्ल्यू. 7 पर पुलिस स्टेशन भी मौजूद था। C.W.24 ने मोबाइल का उत्पादन किया जिसे अल द्वारा बेचा गया था

उसे। उक्त मोबाइल को मजार खींचकर जब्त कर लिया गया है। एक्स. पी.-12 के अनुसार। उदा. पी-12 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। एम. ओ. 4 एक ही है

मोबाइल जो उस दिन बनाया गया था। जब कहा गया कि

कार्यवाही की तस्वीरें भी ली गईं। अब मैं

उक्त तस्वीरों को देखें। उन्हें पहले ही चिह्नित किया जा चुका है

Ex. P-13 ".

75. पीडब्लू 19 टी. संजीव नाइक जाँच अधिकारी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने निम्नानुसार पदच्युत किया हैः

" 2. 10.12.2010 को दोपहर लगभग 1:30 बजे। मैंने मामले की फाइल प्राप्त की और P.W.17 से इस मामले की आगे की जांच की।

और उसके द्वारा की गई जाँच का अवलोकन किया। तुरंत मैं।

अभियुक्त का पता लगाने के लिए पी. एस. आई. और अन्य कर्मचारियों को तैनात किया गया।

सी. डब्ल्यू. 36,37 ए 1 लेकर आए और लगभग 9 बजे एक रिपोर्ट के साथ मेरे सामने पेश हुए। अब मैं उक्त रिपोर्ट देखता हूँ। अब इसे एक्स. पी.-26 के रूप में चिह्नित किया गया है। एक्स. पी.-26 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं, सी. डब्ल्यू. 34 और 35 ने यह भी बताया कि उन्होंने ए 2 को पकड़ लिया है और सुब्रमण्य बनाम को सुरक्षित कर लिया है।

और गहने जो मृत शरीर से ले लिए गए थे। अब प्रासंगिक भाग ए 1 का स्वैच्छिक कथन है एक्स. पी.-28 के रूप में चिह्नित। उदा. पी-28 (ए) मेरे हस्ताक्षर हैं। ए 2 और ए 3 ने भी स्वेच्छा से उस स्थान को दिखाया जहाँ उन्होंने शव को दफनाया था। उक्त स्वैच्छिक बयान सी. डब्ल्यू. 2,3 और पी. डब्ल्यू. 8 की उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं। मैंने तुरंत पी. डब्ल्यू. को एक अनुरोध भी भेजा। 15 मृतक कमलम्मा के शव को निकालने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में आना।

3. 15 तारीख को पंच गवाहों की उपस्थिति में, जैसा कि ए 1 और ए 3 द्वारा दिखाया गया है, उन्होंने पी. डब्ल्यू. 7, पी. डब्ल्यू. 8, पी. डब्ल्यू. 3, सी. डब्ल्यू. 2 और 3 की उपस्थिति में मृतक के शव को बाहर निकाला। शव को बाहर निकालने के लिए एक्स. पी.-3 के अनुसार एक मजार भी खींची गई थी। Ex. पी-3 (ई) मेरे हस्ताक्षर हैं। वहाँ ये तस्वीरें एक्स. पी.-4 के अनुसार ली गई थीं। उपरोक्त पंच गवाहों की उपस्थिति में मैंने एक्स. पी.-14 के अनुसार जाँच मजार भी तैयार किया। उदा. पी-14 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। जाँच के समय मैंने सी. डब्ल्यू. 5,6, पी. डब्ल्यू. 1, सी. डब्ल्यू. 8, पी. डब्ल्यू. 2, C.W.10, पी. डब्ल्यू. 3 और C.W.12 का बयान दर्ज किया। इसके बाद मैंने C.W.39 के माध्यम से शव को सरकार को भेज दिया। अस्पताल, कोप्पा एक अनुरोध के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए। मैंने शरीर से डी. एन. ए. परीक्षण के लिए भेजने के लिए सामग्री एकत्र करने का भी अनुरोध किया। इसके बाद अल ने हमारा नेतृत्व किया और उस स्थान को दिखाया जहां उसने अपराध किया है और वहां सी. डब्ल्यू. 2,3 और पी. डब्ल्यू. 8 की उपस्थिति में मैंने एक्स. पी. 15 के अनुसार स्थान सह जब्ती मजार खींचा। एक्स. पी.-15 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। एक्स. पी. 15 ड्राइंग के समय उन्होंने M.O.14 का भी निर्माण किया। इसके बाद वह हमें कुप्पल्ली बस स्टॉप पर ले गए और वहां उन्होंने उक्त बस स्टैंड के आश्रय से छतरी बनाई। छतरी पहले से ही M.O.15 के रूप में चिह्नित है। मैंने एक्स. पी.-15 के तहत M.O.15 जब्त किया। मैंने कार्यवाही की तस्वीरें भी लीं। उक्त पाँच तस्वीरें [2022] 14 एस. सी. आर.

एक्स. पी.-16 के रूप में चिह्नित किए गए हैं। इसके बाद मैं वापस आ गया।

अभियुक्त और जब्त की गई वस्तुओं के साथ और इसके अधीन

जब्त की गई वस्तुओं को P.F.No.74/2010 के अधीन किया गया। मैंने पी. डब्ल्यू. 9 और C.W.15 का बयान भी दर्ज किया। मैंने ए 1 को भी पुलिस हिरासत में रखा। 5. 14.12.2010 पर मैंने पी. डब्ल्यू. 4 और सी. डब्ल्यू. सुरक्षित किया। 17 और उसके बाद ए 3 हमें किरनाकेरे में उनके घर ले गया और वहाँ उन्होंने उत्पादन किया।

एम. ओ. 5 और 6 और वहाँ मैंने एक्स. पी.-5 के अनुसार एक मजार खींचकर उन्हें जब्त कर लिया। उदा. पी-5 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने तस्वीरें भी खींची। अब मैं उक्त दो तस्वीरों को देख रहा हूँ। इन्हें अब एक्स. पी.-29 के रूप में चिह्नित किया गया है। वहाँ मैंने पी. डब्ल्यू. 5 और C.W.19 हासिल किया और उसके बाद ए 1 हमें ए 2 के घर ले गया।

फायरस्टैग उन्होंने एम. ओ. 7 और 8 का उत्पादन किया और वहाँ मैंने उन्हें जब्त कर लिया

एक्स. पी.-6 के अनुसार एक मजार बनाना। उदा. पी-6 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने एक्स. पी.-7 के अनुसार तस्वीरें भी लीं। इसके बाद ए 1 और ए 3 हमें उस स्थान पर ले गए जहाँ उन्होंने एम. 0.9 और 10 छिपाए हुए थे और वे हिरकोडिगे गाँव में सरकारी भूमि सर्वेक्षण No.121 में झाड़ी के किनारे के पास गए और झाड़ी के अंदर गए।

अल ने एम. ओ. 9 और ए 3 का उत्पादन किया M.O.10। एक्स. पी.-8 के अनुसार एक मजार खींचकर उन्हें जब्त कर लिया गया था। उदा. पी-8 (बी) मेरे हस्ताक्षर हैं। वहाँ मैंने एक्स. पी.-9 के अनुसार तस्वीरें भी लीं।

और पी-10। इसके बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन आया।

अल और ए 3 के साथ और वस्तुओं को जब्त कर लिया और अधीन कर दिया

P.F.No.75/2010 से 77/2010 पर जब्त की गई वस्तुएँ। उसी दिन, मेरे निर्देश के अनुसार मेरे सिपाही C.W.36 ने P.W.16 सुरक्षित कर लिया पुलिस स्टेशन तक। मैंने P.W.10 और C.W.23 और P.W.16 सुब्रह्मण्य v सुरक्षित किया।

मोबाइल एम. ओ. 4 पेश किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे अल ने बेच दिया था और एक्स. पी.-12 के अनुसार एक मजार खींचकर उसे जब्त कर लिया गया था। उदा. पी-12 (डी) मेरे हस्ताक्षर हैं। PW.16 ने यह कहकर भी अल की पहचान की कि वह वह व्यक्ति है जिसने उसे एम. ओ. 4 बेचा था। कार्यवाही के समय पी. डब्ल्यू. 7 भी उपस्थित थे। आई.

एक्स. पी.-13 के अनुसार तस्वीरें भी लीं। इसके बाद मैं

0. 4 से P.F.No.78/2010 के अधीन। मैंने भी रिकॉर्ड किया

P.W.16 का विवरण, C. W. 5, C. W. 6, P. W. 1, C. W. 8 और C.W.25 का आगे का विवरण। मैंने इससे पहले ए 1 और ए 3 का भी निर्माण किया था।

रिमांड आवेदन के साथ अदालत "।

76. उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष साबित करने और स्थापित करने में सक्षम रहा है

कानून के अनुसार खोज। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार हैः

" 27. अभियुक्त से कितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है

साबित किया जाए। बशर्ते कि, जब किसी तथ्य को अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पाया जाता है

किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी भी अपराध की इतनी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है,

साबित कर दिया "।

77. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्य में पहली और बुनियादी कमजोरी यह है कि उनमें से किसी ने भी अपीलार्थी द्वारा दिए गए सटीक बयान को पेश नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रासंगिक तथ्य का पता चला है। 78. यदि जाँच अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर हिरासत में रहते हुए यह बयान दिया है कि

वह उस स्थान पर ले जाता जहाँ उसने अपराध के हथियार को छिपाया था, शव को दफनाने की जगह, कपड़े आदि, फिर जांच अधिकारी को जो पहला काम करना चाहिए था वह था पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में उनकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आरोपी को उस स्थान की ओर इशारा करने के संबंध में एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए, जहां कहा जाता है कि उसने मामला छिपाया था।

अपराध का हथियार आदि। जब आरोपी हिरासत में रहते हुए ऐसा [2022] 14 एस. सी. आर. बनाता है।

दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाह) के समक्ष दिए गए सटीक बयान या बल्कि अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जांच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास हो सके कि आरोपी द्वारा एक विशेष बयान उस स्थान को इंगित करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा व्यक्त करते हुए दिया गया था जहां अपराध के हथियार या अपराध करने में उपयोग की गई किसी अन्य वस्तु को छिपाया गया था। एक बार पंचनामे का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल के साथ

अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाह (पंच-गवाह) उस विशेष स्थान पर आगे बढ़ेंगे जिसका नेतृत्व अभियुक्त कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग होगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा बनाने की उम्मीद करता है। अगर हम पढ़ते हैं

जांच अधिकारी का पूरा मौखिक साक्ष्य तब यह स्पष्ट होता है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

79. उपरोक्त संदर्भ में, हम उल्लेख कर सकते हैं और इस पर भरोसा कर सकते हैं

मुरली और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय v. राजस्थान राज्य ने (2009) 9 एस. सी. सी. 417 में सूचित किया, जो निम्नानुसार हैः

" 34. पंचनामे की सामग्री मूल नहीं है।

सबूत वह है जो पंचों या व्यक्ति द्वारा कहा गया है। गवाह बक्से में चिंतित।

[जोर दिया गया]

80. एक और गंभीर बीमारी जो सामने आई है, उसके संबंध में है।

उस व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हथियार की खोज की थी।

81. धारा की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें

27 अधिनियम के मोटे तौर पर निम्नानुसार हैंः --

(1) किसी सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज

अभियुक्त से प्राप्त; सुब्रमण्य बनाम।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(2)

पदच्युत किए जाने वाले ऐसे तथ्य की खोज;

जब उसने दिया तो आरोपी को पुलिस हिरासत में होना चाहिए

(3)

जानकारी; और

(4)

इतनी जानकारी जो स्पष्ट रूप से तथ्य से संबंधित है इस प्रकार की खोज स्वीकार्य है-मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्यः आकाशवाणी (1976) एससी 483

आवेदन के लिए दो शर्तें -

(1) जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो खोज का कारण बनी हो

तथ्य; और

(2) जानकारी का स्पष्ट रूप से खोज किए गए तथ्य से संबंध होना चाहिए-एरभद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्यः आकाशवाणी (1983) एससी

446 .

82. हम संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम के मामले में न्यायालय है। देवमान

इह्या ने ए. आई. आर. (1960) एस. सी. 1125 में रिपोर्ट की, जिसमें पैराग्राफ 71 साक्ष्य की धारा 27 के संबंध में कानून की स्थिति का उल्लेख करता है।

" 71. इस प्रकार कानून ने अभियुक्त व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है।

दो में विभाजित करेंः (1) जिन लोगों को खतरा है, उन्हें एक आरोप में हिरासत में घर लाया गया; और (2) जो अभी भी मुक्त हैं। पूर्व श्रेणी में वे व्यक्ति भी हैं जो

शब्दों या क्रिया द्वारा अभिरक्षा के समक्ष समर्पण करें। इन दोनों वर्गों को दी जाने वाली सुरक्षा अलग-अलग है। प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में कानून ने फैसला सुनाया है कि उनके

बयान स्वीकार्य नहीं हैं, और दूसरी श्रेणी के मामले में, बयान का केवल वह हिस्सा स्वीकार्य है, जैसा कि जांच प्राधिकरण को दिए गए बयान से पहले एक प्रासंगिक तथ्य की खोज से सुनिश्चित होता है। वह कथन प्रकृति में इकबालिया भी हो सकता है, जैसे कि जब हिरासत में व्यक्ति कहता हैः " मैंने उसे इस तरह नीचे धकेल दिया

माइनशाफ्ट ", और पीड़ित का शरीर परिणामस्वरूप पाया जाता है, और यह साबित किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु प्राप्त चोटों के कारण हुई थी

माइनशाफ्ट के नीचे गिरने से।

[जोर दिया गया]

83. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का दायरा और दायरा था -

पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य बनाम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सम्राट, ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67, जो निम्नलिखित शब्दों में लोकस क्लासिकस बन गए हैं:

" 10. ..... खंड के भीतर "खोजे गए तथ्य" को उत्पादित वस्तु के बराबर मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में उस स्थान को शामिल किया गया है जहाँ से वस्तु उत्पन्न की गई है और आरोपी का इसके बारे में ज्ञान है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी

कि "मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा" चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाता है; चाकू थे

कई साल पहले खोजा गया। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि सूचना देने वाले के घर में उसके ज्ञान के अनुसार एक चाकू छुपाया जाता है, और यदि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया साबित होता है, तो पाया गया तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रासंगिक। लेकिन अगर बयान में "जिसके साथ मैंने ए को चाकू मारा" शब्द जोड़े जाते हैं तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे

के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं है

सूचना देने वाला "।

84. जाँच अधिकारी के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हिरासत में रहते हुए अपने सामने कहा था, "मुझे घटना में इस्तेमाल किए गए हत्या के हथियार का पता चल सकता है"। यह कथन यह संकेत या सुझाव नहीं देता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। यह एक अस्पष्ट कथन है। केवल खोज को हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। वह ज्ञान प्राप्त कर सकता था

इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि एक व्यक्ति हथियार की खोज की, वह वह व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा की गई खोज को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मूल साक्ष्य से क्या निकलता है

हथियार की खोज के संबंध में यह है कि अपीलार्थी ने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा।

85. दूध नाथ पांडे बनाम। यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 911, इस न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पिस्तौल की खोज के साक्ष्य

अपीलार्थी, अपने आप में, यह साबित नहीं कर सकता है कि जिसने हथियार को इंगित किया था, उसने अपराध में इसका इस्तेमाल किया था। खोज के साथ दिया गया बयान छिपाने के लेखक की पहचान करने के लिए अस्पष्ट पाया गया और यह माना गया कि हथियार से इशारा करना, सबसे अच्छा, साबित हो सकता है।

अपीलार्थी की जानकारी कि हथियार कहाँ रखा गया था।

अपने साक्ष्य में अधिकारी, और इसकी सामग्री को साबित किए बिना भी पंचनामे में, उच्च न्यायालय ने हथियार की खोज की परिस्थितियों पर भरोसा करना उचित नहीं ठहराया।

87. उपरोक्त संदर्भ में, हम बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। की स्थिति

जम्मू और कश्मीर ने (2002) 8 एस. सी. सी. 45 में निम्नानुसार रिपोर्ट कियाः

" 18. ..... ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 27 के तहत यह किसी भी तथ्य की खोज के लिए साक्ष्य प्रदान करने के लिए है।

स्वीकार्य है, जानकारी पुलिस की हिरासत में किसी भी आरोपी से आनी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा की आवश्यकता अत्यंत विसंगत परिणामों के लिए उत्पादक है और ऐसे मामलों में बहुत मूल्यवान साक्ष्य का बहिष्कार हो सकता है जहां एक व्यक्ति, जिसे बाद में अभिरक्षा में लिया जाता है और हो जाता है

एक अभियुक्त, अपराध करने के बाद एक पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या पुलिस स्टेशन जाता है और अपराध की परिस्थितियों को बताता है जिससे शव, हथियार या किसी अन्य भौतिक तथ्य की खोज होती है। इस प्रकार उससे प्राप्त जानकारी का परिणाम। यह

जानकारी जो अन्यथा स्वीकार्य हो जाती है

धारा 27 के तहत अस्वीकार्य है यदि जानकारी किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति से नहीं आई थी या किसी ऐसे व्यक्ति से आई थी जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं था। द.

बयान जो धारा 27 के तहत स्वीकार्य है वह वह है जो खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है। इस प्रकार, जो जानकारी स्वीकार्य है, उसे साबित करना होगा।

और उस पर पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई राय नहीं। दूसरे शब्दों में, [2022] 14 एस. सी. आर. में अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी।

जिस अभिरक्षा के कारण वस्तुओं की बरामदगी हुई, उसे साबित करना होगा। अतः यह दोनों अभियुक्तों के लाभ के लिए आवश्यक है।

और अभियोजन पक्ष कि दी गई जानकारी दर्ज की जानी चाहिए

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुष्टि का सिद्धांत है। बाद की घटनाओं से। सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है

कि यदि बल पर की गई खोज के रूप में कोई तथ्य पाया जाता है

कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी की, ऐसी खोज

एक गारंटी है कि कैदी द्वारा प्रदान की गई जानकारी सच है। जानकारी इकबालिया या गैर हो सकती है।

प्रकृति में प्रेरक लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि

किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति में परिकल्पित तथ्य की खोज नहीं है

अनुभाग। पुलुकुरी में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

कोट्टाया बनाम। सम्राट [AIR 1947 PC 67: 48 Cri LJ 533 74 IA

65] समर्थन के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकरण है व्याख्या कि "तथ्य की खोज" में परिकल्पना की गई है

खंड उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु थी

प्रस्तुत किया गया, अभियुक्त का इसके बारे में ज्ञान, लेकिन

दी गई जानकारी का उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंध होना चाहिए। (राज्य देखें

महाराष्ट्र का बनाम। दामू गोपीनाथ शिंदे [(2000) 6 एस. सी. सी 269

: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1088: 2000 क्रि एलजे 2301]।) इसमें कोई शक नहीं कि

साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली जानकारी सीमित है

जानकारी के उस हिस्से से जो स्पष्ट रूप से संबंधित है

इस प्रकार तथ्य का पता चला "। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए

स्वीकार्यता को इतना छोटा करने की आवश्यकता नहीं है कि यह असंवेदनशील हो जाए।

या समझ से बाहर। स्वीकार की गई जानकारी की सीमा

समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। केवल बयान

कि आरोपी पुलिस और गवाहों को उस स्थान पर ले गया जहाँ उन्होंने लेखों को छुपाया था, यह संकेत नहीं है कि

दी गई जानकारी। "

[जोर दिया गया]

88. श्री वी. एन. रघुपति, राज्य के विद्वान वकील

यह कि विभिन्न रूपों में साक्ष्य को त्यागते हुए भी

बहुत पंचनामों में यहाँ अपीलार्थी का आचरण होगासाक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत चींटी। खोज का प्रमाण सुब्रह्मण्य V.

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जैसा कि इस न्यायालय ने ए. एन. वेंकटेश और अन्य v. में कहा है, उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन की ग्राह्यता के अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा। कर्नाटक राज्य, (2005) 7 एससीसी 714:

" 9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर,

अभियुक्त व्यक्ति प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण प्रभावित करता है या मुद्दे में किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से प्रभावित है। सबूत

परिस्थितियों का, सरलतर, जिसे अभियुक्त ने इंगित किया

पुलिस अधिकारी को, वह स्थान जहाँ मृत शरीर अपहृत लड़का पाया गया और उन्होंने शव की ओर इशारा किया

निकाला गया था, धारा के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा

8 इस तथ्य के बावजूद कि क्या द्वारा दिया गया बयान

समकालीन रूप से ऐसे अभियुक्त के साथ या पूर्ववर्ती

आचरण धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं जैसा कि माना जाता है प्रकाश चंद बनाम में इस न्यायालय द्वारा। राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979)

3 एससीसी 90: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 656: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 400] भले ही

हम मानते हैं कि अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान

अपीलार्थी (Exts. पी-15 और पी-16) के तहत स्वीकार्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, फिर भी यह धारा के तहत प्रासंगिक है

8 ..... "

[जोर दिया गया]

89. उपरोक्त संदर्भ में, हम एक टिप्पणी करना चाहेंगे

सावधानी बरतें। हालाँकि अभियुक्त का आचरण एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत, फिर भी वही, अपने आप में, उसे दोषी ठहराने या उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, एक अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है जिन पर अदालत विचार कर सकती है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के साथ विचार। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि केवल अभियुक्त का आचरण,

यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

प्रेरक 90. उच्च न्यायालय ने इसके लिए मजबूत उद्देश्य पर भरोसा किया है

अपीलार्थी दोषी को अपराध में से एक के रूप में अपराध करने के लिए

परिस्थितियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

91. संपत कुमार बनाम के मामले में। पुलिस निरीक्षक, नागिरी, (2012) 4 एस. सी. सी. 124, ने 02.03.2012 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय ने कहा देरः

" 29. एन. जे. सूरज बनाम राज्य [(2004) 11 एससीसी 346: 2004 एससीसी (सी. आर. आई.) सप्लीमेंट 85] अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से इस पर आधारित था परिस्थितिजन्य साक्ष्य और एक उद्देश्य। चर्चा करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर परिस्थितियाँ, यह न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषता। 30. इसी प्रभाव के लिए संतोष कुमार सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय है। राज्य [(2010) 9 एससीसी 747: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1469] और रुकिया बेगम बनाम। कर्नाटक राज्य [(2011) 4 एससीसी 779: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 488: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1585] जहाँ यह अदालत ने किसी अन्य की अनुपस्थिति में केवल उस उद्देश्य को माना परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है। सुनील राय बनाम में न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ [(2011) 12 एस. सी. सी. 258: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 543: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2545] इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार समझायाः (सुनील राय मामला (2011) 12 एस. सी. सी. 258: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 543: AIR 2011 SC 2545], एस. सी. सी पी. 266 , पैरा 31-32)

" 31. ..... किसी भी मामले में, अकेले मकसद शायद ही कोई आधार हो सकता है विश्वास के लिए।

32. अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर कुछ संदेह हो सकता है अभियुक्त के खिलाफ, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, संदेह, चाहे जो भी हो मजबूत, सबूत की जगह नहीं ले सकते।

31. यह कहने के लिए पर्याप्त है, हालांकि अपीलार्थियों के अनुसार अपीलार्थी वेलु के सवाल का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना है

अपनी बहन के प्यार में पड़ने के कारण मृत सेंथिल, परिवार द्वारा उषा को देने का फैसला करने के बाद उषा नहीं बची

मृतक सेंथिल से विवाह। फिर भी यह मानते हुए भी कि सुब्रमण्य बनाम।

कर्नाटक राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपीलार्थी वेलु ने उषा के विचार से समझौता नहीं किया था

मृतक सेंथिल से शादी करना, बस इतना ही कहा जा सकता है

यह था कि अपीलार्थी वेलु का शारीरिक रूप से एक उद्देश्य था

मृतक को नुकसान पहुँचाना। यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य का एक अपीलार्थी के विरुद्ध प्रबल संदेह लेकिन संदेह,

चाहे कितना भी मजबूत हो, यह भी प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है

अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे है। '

[जोर दिया गया]

92. इस प्रकार, भले ही यह माना जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी के पास एक

अपराध करने का उद्देश्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इस निर्णायक प्रमाण के रूप में जगह नहीं ले सकती है कि संबंधित व्यक्ति अपराध का लेखक था। यह भी कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य की उपस्थिति अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। निचली अदालत ने अपराध करने के उद्देश्य पर सही ही विश्वास नहीं किया क्योंकि इस संबंध में सबूत पूरी तरह से सुनी-सुनाई प्रकृति के हैं।

93. तथ्य यह है कि हमने संबंधित परिस्थितियों को खारिज कर दिया है

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करना और अपराध के हथियार आदि की खोज के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि किसी अन्य परिस्थिति पर विचार करने के लिए, चाहे वह उद्देश्य ही क्यों न हो, आवश्यक नहीं होगा।

94. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस पर पहुंचे हैं

यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी दोषी के कहने पर मृतक के हथियार, कपड़े और मृत शरीर की खोज के साक्ष्य को शायद ही कानूनी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, विशेष रूप से, उसी में विभिन्न कानूनी दुर्बलताओं को देखते हुए।

95. सभी पूर्वगामी कारणों से, हम तक पहुँच गए हैं

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने में त्रुटि की है।

96. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। द.

ए.

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

97. अपीलार्थी दोषी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, यदि नहीं

किसी भी अन्य मामले में आवश्यक।

बी.

98. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

(सहायकः राखी, एलसीआरए)